प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातेः–

(क) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ङ) खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामियों को खनन पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और

(च) नियमावली के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।

3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्हीं विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10– खनन पट्टे की अवधि :–

(1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है० क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर के 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम 10 वर्ष तक तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

वह ऐसे स्वस्थाने (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (बीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हो, की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11– पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :–

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा:–

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में:–

(1) 05 है० क्षेत्र तक के लिये रू0 5000.00

(2) 05 है० क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है0 तक रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान या ई–चालान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चिय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12– प्रतिभूति जमा :–

(1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप मे एफ0डी0आर0 जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 है0 तक क्षेत्रफल के लिये रू0 25,000/– तथा 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के लिये रू0 50,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक की जानी होगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

13– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

(1) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, जमा किया जायेगा तथा तदोपरान्त जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0–3 में तैयार कराकर पट्टा विलेख (नदी तल क्षेत्र हेतु) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न क्षेत्र हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(3) पट्टा विलेख में निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान पट्टेदार के द्वारा 09 समान मासिक किश्तों (माह जुलाई से माह सितम्बर तक की अवधि को छोड़कर) में निर्धारित तिथि से पूर्व किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आगामी माह की किस्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14–पट्टे का समर्पण :–

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को खनन पट्टा समर्पण करने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक से अग्रिम तीन माह की पट्टा धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक/महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा समर्पण स्वीकार किया जायेगा।

15–पट्टे का संक्रमण (Transfer):–

(1) पट्टेदार :–

(क) पट्टेदार किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा, न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण (Transfer) करेगा।

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित पोषित किया जा

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

सकता है या जिससें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना भूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित भूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अभ्यर्पित या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:–

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख 05 है0 तक तथा 05 है0 से अधिक हेतु रू0 5.00 लाख।
2. फर्म के मामलें में भागीदार का नाम जोड़ने एवं घटाने हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमे किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड़ एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(3) निजी नाप भूमि के पट्टाधारक की मृत्यु होने पर बिना भू–स्वामियों की सहमति के तथा निजी नाप से भिन्न भूमि के खनन पट्टाधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टाधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16– निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/चुगान कार्य:–

1. नदीतल में अवस्थित वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राजस्व क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 एंव कुमाऊ मण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार आवेदन किये जाने पर नियमावली के अध्याय–2 के प्रावधानानुसार स्वीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/चुगान कार्य निगमों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। यदि निगमों के द्वारा स्वयं चुगान/खनन कार्य नही किया जाता है, तो निगमों द्वारा चुगान का कार्य ई–नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि निगमों के द्वारा किये जा रहे खनन/चुगान कार्य से राजस्व क्षति हो रही है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निगमों को आवंटित समस्त अथवा किसी खनन पट्टे को वापस लेकर नियम–69 के अन्तर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार को नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो, तो विकास एवं राष्ट्रहित में लिखित आज्ञा द्वारा निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों के किसी भाग/गेट से उपखनिजों की आपूर्ति राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेल विकास निगम लि० (आर०वी०एन०एल०), बी०जी०बी०आर०(ग्रेफ), बी०आर०ओ०, एन०टी०पी०सी०, यू०जे०वी०एन०एल०, एन०एच०पी०सी० आदि को किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर निगमों के द्वारा उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

17– रजिस्टर :– जिला खान अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे:–

(क) प्रपत्र एम०एम० 2 में खनन पट्टो के लिये प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम०एम० 4 में खनन पट्टो का रजिस्टर।

अध्याय –3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

18– स्वामित्व :–

(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थाने चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नही बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नही करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुक्त मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसको बढ़ाया जाना आवश्यक समझे।

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय –4

नीलामी–पट्टा

20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/वन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने (In-Situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई–निविदा/ई–निलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

(क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टो का आवंटन नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/ कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21–ई–नीलामी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :–

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस आध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22–ई–नीलामी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एन. 5 में रखवायेगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

23–पट्टे के देने पर निर्बन्धन :–

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:–
   - i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
   - ii. जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया हो।
   - iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
   - iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
   - v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
   - vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल की प्रति प्रस्तुत न की हो।

2. प्रतिभागी बोलीदाताओ द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने मे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकतम आधार मूल्य के शत–प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

24– ई–नीलामी की प्रक्रिया :–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रो एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में नियम–20(1) के अधीन चिन्हित उप खनिज लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रकिया ऑनलाईन ई–नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर की जायेगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

i. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अभिलेख:–

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त चैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेग्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ग्यारह) ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एंव धनराशि आदि:–

शुल्कः–ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/वन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) एवं नदी तल से भिन्न राजस्व एवं वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख विभागीय पेमेंट गेटवे अथवा ट्रेजरी चालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

विभाग के जनपद कार्यालय मे जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।

1. धरोहर राशि (Earnest Money)- किसी क्षेत्र के ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो नियिदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वयं के खाते से ही एफ0डी0आर0 बनवायी जानी होगी।

किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर0 की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई–नीलामी प्रकिया हेतु वैध नही माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी।

3. हैसियत प्रमाण पत्रः– जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेंगे।

या

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

25— ई–नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना:–

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीकम में H3 तक अपनाई जायेगी। एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्चतम बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु 06 (छः) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु 01 वर्ष की अवधि (जिसमें 06 माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु सम्मिलित है) का "आशय पत्र (Letter of Intent)" निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।

परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र मे उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा मे सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रू0 50,000/– निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करते हुए संबंधित जनपद के जिला खान अधिकारी

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिंग रिर्पोट एवं अन्य वांछित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।

5. शासन, मा0 न्यायालयों एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोड़कर) की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9. अन्य मानक व शर्तें, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

26– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदी तल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने किस्म के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

2. पट्टे की अवधि की संगणना:- स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु पूर्व के ई-निविदा सह ई-नीलामी से स्वीकृत ऐसे खनन पट्टे, जिनकी पट्टावधि की गणना आशय पत्र (Letter of Intent) की तिथि से की गयी है, की पट्टावधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष हेतु की जायेगी। उक्त प्राविधान मात्र उन खनन पट्टों पर ही लागू होगा, जिनकी समयावधि दिनांक 31.12.2023 तक अवशेष है।

3. पूर्व में ई-निविदा सह ई-नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों हेतु सकल निविदादाता धनराशि (ई-नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि (ई-नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं आशयपत्र के अग्रेत्तर वर्ष के नवीनीकरण हेतु जमा 20 प्रतिशत धनराशि को उक्त खनन पट्टों की अग्रेत्तर वर्षों की पट्टा धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

4. यदि नदी तल स्थित राजस्व/वन भूमि में बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अनुमति करें, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिजों सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार/शासन अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा आपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश के संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी जैसी राज्य सरकार/शासन तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

27. पट्टा का रजिस्टर :

1. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0-7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भेजी जायेगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

अध्याय –5
खनन पट्टे की शर्तें

28– इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टो में लागू होंगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29– अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पटटे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पटटे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

30– विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नही किया जायेगा :–

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31– खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होंगी :–

(1) सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर अंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों एवं स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेंगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 कें अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियां अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

से लगे क्षेत्रों में बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एंव स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 50,000/– देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एंव सैटेलाईट मानिचत्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एंव निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

(6) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के बिना संचालित न हो।

(7) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रू0 2.00 लाख (दो लाख) 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा 5.00 है0 से अधिक के खनन पट्टों हेतु रू0 5.00 लाख (रुपया पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।

(8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर 02 वर्ष तक खनन कार्य बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

32– सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :–

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33– खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :–

पटटेदार खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34– खाइयों, गडढों आदि का अभिलेख रखना :–

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गडढों और बरमा में बनाये गये सूराखों (Drillings) का ठीक–ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गडढे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जाये।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।

(ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

35– पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :–

पट्टेदार यथास्थिति संबद्व रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सडक (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

36– अग्रक्रयाधिकार (हकशफ) :–

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हें ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37—पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :—

नियम 38 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा:—

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल, जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत्र स्थापित करना, प्रसाधन करना, फर्श बिछाना, भट्ठिया बनाना, ईंट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना ।

(घ) उक्त भूमि पर सडक तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रांन्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वयं के व्यय पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/कच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है।

(ड) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सडक सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खैपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईंटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईंट या खपरैलो (tiles) को बिना अनुमति न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियों (under growth) और घनी झाडी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खडे या पाये गये वृक्षों या इमारती लकडी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकडियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

38– पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :–

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।

(1) किसी सार्वजनिक स्थल, श्मशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सडक या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तो के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ड) सम्बद्व रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सडकों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तो के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सडक की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिजरूप (horizontally) से और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनो के लिये इस 'सार्वजनिक सडक' का तात्पर्य ऐसी सडक से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम–सडक के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सडक के रूप में किया गया हो।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(च) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने–जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो असहमति होने की दशा में, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्णित किया जाये) देय होगा। स्वस्थानें चट्टानों में पट्टाधारक एवं भू–स्वामी की आपसी सहमति से खनन कार्य किया जायेगा। यदि भू–स्वामी द्वारा एक बार किसी निश्चित अवधि के लिए खनन कार्य किये जाने की सहमति हेतु अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अवधि में दी गयी सहमति को वापस नही ले सकेगा एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के समय पट्टाधारक एवं भू–स्वामी के मध्य सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी की सम्बन्धित भूमि को समतल कर फसली मुआवजा प्रतिवर्ष भूस्वामी को देना होगा ताकि खनन कार्य प्रभावित न हों। पट्टाधारक एवं भू–स्वामियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी आर्बिटेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी० की गहराई तक अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

39– सभी दावों के विरुद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :–

पट्टेदार सभी हानि या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने मे उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

40– पट्टेदार गड्ढो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :–

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्ढो, कूपकों (shafts), और कार्यकारणों (workings) को, जो भूमि बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकडी या अन्य स्थायी उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गड्ढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नही, पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जावे, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

41–पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू–गृह दिनांक से, जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plan) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workman) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय–समय पर देना या बनाना उचित समझें।

42– पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :–

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्ही संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुचें या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुचें या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पडे या वह संकट में पड जाये।

43– पट्टेदार आधुनिक तौल मशीन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :–

(क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वंय के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आधुनिक आई0पी0 बेस्ड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा।

- पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विकय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44– उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति:

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

45– पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापत्ति (यदि लागू हो), एन0डी0डब्लु0एल0 की अनुमति (यदि लागू हो),

खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/दिशा–निर्देशों के अधीन खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेंगी।

46– पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

47–सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :–

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

48– जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनाक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49– सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी–

क– राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी0 छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

ख– शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी0 की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

ग– नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी0 की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबंधित होगा।

50 – खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें–

1. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विक्रय की गई उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना में निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भांति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराये जाने की स्वतन्त्रता होगी।
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।

   परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।
7. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों मे Mechanized विधि से खनन संक्रियाएँ संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।
8. पट्टाधारक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।
10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अवधि का

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख रू0 10,000/– के स्टाम्प पेपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूस्राव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय –6
खनन अनुज्ञा–पत्र

51– खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :–

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरूद्ध या उसके परिवार के विरूद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गधेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में भवनों के निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान, ईंट मिटटी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के कटान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छः माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52– खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :–

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में चार प्रतियों मे जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण करते हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:–

(1) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 की जमा रसीद।

(2) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

(3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।

(4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।

(5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53– प्रार्थना पत्र का निस्तारण :–

1. उपरोक्त नियम–52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54—स्वामित्व का जमा किया जाना :—

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुश्त स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता है तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55– खनन अनुज्ञा–पत्र का जारी किया जाना :–

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्बन्धनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56– खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :–

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरे के साथ प्रपत्र एम0एम0–9 में खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खान अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय–7
उल्लंघन अपराध और शक्तियां

57– अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :–

(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

(2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय–समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सम्यक नियम/आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जायेगा।

(5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

58– स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :–

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (स्वस्थाने चट्टानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

59– कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :–

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्ही शर्तो को भंग करें, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से, जो रू० 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60– सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लंघन का परिणाम :–

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा उचित समझा जाय, काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई–नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय– 8
विविध

61– प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :–

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकारक हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62— रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :-

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रूपये और।

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रूपये ।

स्पष्टीकरण :— (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक ई—नीलानी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :—(2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

63— नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :—

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64— शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :—

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65— छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :—

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिदिष्ट किये जाने चाहिये।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

66– निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :–

(1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी:–

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ड) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67– भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नही किया जायेगा: –

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हों।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/गौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्व विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन कराते हुए तैयार किये गये वास्तविक आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थाओं को दी जायेगी।

68– विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :–

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तें और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तें और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69–स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टो के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई–टेण्डर/ई–निलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाये। ठेकेदार/निविदाकार के चयन के लिए अर्हता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

(1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोडकर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में तथा राज्य के बाहर ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नही ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के ऑनलाईन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाईन ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जायें, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।

(4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझें।

(6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।

(7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है।

(9) अवैध परिवहन या ई-रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई-रवन्ना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71–प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्ही ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

72– पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:–

(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम-20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

73– विवरणियां (रिटर्न्स):

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक प्रत्येक माह के आगामी 07 तारीख तक प्रपत्र एम०एम०–12 में जिलाधिकारी और जिला खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह रू० 5000.00 की शास्ति का भागी होगा।

74– अपराधों का संज्ञान:–

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

75– अपराधों का शमन :–

(1) इस नियमावली के अधीन–दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय या जिलाधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :–

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डन विभागीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नही होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेत्तर कार्यवाही नही की जायेगी और अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरों को दर्शाया जायेगा :–

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ड) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर ।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

76— पुलिस की सहायता:—

नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहमत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77— अपील :—

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला खान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहां अपील की जायेगी।

78— पुनरीक्षण :—

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79— शुल्क :—

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे बीस हजार रुपये का शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,
डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रथम अनुसूची (देखें नियम–18)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0 में)
1– चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
2– मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
3– ईट बनाने की मिट्टी	100.00 प्रति हजार ईट
4– शोरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्तल
5– इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन):– 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोडकर) स्लैब्स अरालर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वार्टजाईड)	 350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
6– नदी तल से भिन्न खनन पट्टो से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	88.50 प्रति टन
7– ग्रेनाईट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00 प्रति घ0मी0
8– नदी तल में राजस्व/वन भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोडकर)	1. 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी) 2. 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी) 3. 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
10– कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
11– कंकड	200.00 प्रति टन
12– साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
13– सिलिका सैण्ड	100.00 प्रति टन
14– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
15– बैराईट	250.00 प्रति टन
16– क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
17– सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी – रू0 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत व उससे अधिक)
18– अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची (देखें नियम–19)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रु0 में)
1– मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
2– चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
3– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी0 से अधिक हो), बजरी /गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4– नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
5– साधारण मिट्टी (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25,000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
6– खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	6000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
7– खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
8– खनिज क्वार्टजाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
9– खनिज बैराईट	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
10– खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

तृतीय अनुसूची

THIRD SCHEDULE

प्रपत्र एम. एन.–1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम–5)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक.................................. 20..........

(समय).. बजे

(स्थान)..

(दिनांक).. को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.................................... को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद..............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क .... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.......................................

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है:.......

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान..

(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता..

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.................................

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.................................

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है.................................

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है:–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत हैं तो उसका ब्योरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।.................................

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।.................................

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की रैखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।.................

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये.................................

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;.................................

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;...........

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;.................................

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो ....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।.................................

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.................................

(तेरह) अन्य वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) उपयुक्त बिन्दु–2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।.................................

(ख) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की राजस्व विभाग से चार सत्यापित प्रतियां।..

(ग) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां।..

(घ) खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।..

(ङ.) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।..

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।..

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।..

(ज) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।..

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति। ....

(ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति..

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्ग्रस्त यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक..

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–1 (क)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम 5)

स्थान .... दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.............................. को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद..............................

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते है। उक्त नियमावली के नियम–6(क) के अधीन देय रू0 .... (रूपया ....) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैः–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता..............................
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है।..............................
3. यदि प्रार्थी :–
   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता..............................
   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता..............................
   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अशपूंजी का प्रतिशत तथा उसे निगमन के स्थान..............................
   (घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी भागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता..............................
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है..............................
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीनीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों..............................
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है..............................
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

(क) क्षेत्रफल जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया..

(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये)..

(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीनीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न)......................................

(घ) विद्यमान या सृजि मलवे के विवरन यदि कोई हो.......................................

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?..

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।......
....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :–.................................

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,..

(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या..

(ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो...

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगें :–

(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना...

(ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार..

(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना.......................................

(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृति जल स्त्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्यौरे दर्शाये गये हों।..

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा..
....

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा:–

(क) भारत के विनियोग के लिये,...

(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये...

(ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को; जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनको खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में...

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।.....
....
16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हों।...........
....
17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों,...

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूँ/है।

भवदीय

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान ....

दिनांक..........................

अवधेय :- यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का रजिस्टर देखें नियम 05(4) एवं नियम–17

1. क्रम संख्या..
2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक..
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ..
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया....................................
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता..
6. उक्त व्यक्ति का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–
   (क) तहसील...
   (ख) परगना..
   (ग) ग्राम..
   (घ) प्लाट नं0...
   (ड) क्षेत्रफल...
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल...................................
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है..
9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारम्भिक व्यय...
10. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया...............................
11. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण...................................
12. अभ्युक्तियां :...
13. जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर...

प्रपत्र एम0एम0–3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम–13)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक .... को ....उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार") कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : .... (भागीदार का नाम) आत्मज .... निवासी .... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट संख्या 09) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... नगर में . ... पर है। (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझें जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि .... एकड के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंनें राज्य सरकार के पास .... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा .... रू0 की धनराशि खनन पट्टे हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है .... (यहां खनिज या खनिजों का

उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानें, तल्प (Beds) संदरस्तीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पडी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगें। दिनांक.................. .... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम..................... के अन्तर्गत खसरा संख्या.......................... कुल क्षेत्रफल..............है0 है, जो कि, ...नदीतल/नदीतल से भिन्न स्थानों में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:–

उत्तर में – ....

दक्षिण में – ....

पूर्व में – ....

तथा

पश्चिम में – ....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना– (1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनों का नहीं, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वस्थाने चट्टानो से भिन्न खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे:–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगणित पट्टा धनराशि को निम्नानुसार संसूचित किया जायेगा:–

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/रायल्टी की दर (रू0 प्रति टन)	अन्य देयकों की धनराशि (रू0 प्रति टन)	पट्टाधनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5 {2 x (3 + 4)}
1 2 3				

- पट्टाधनराशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान 09 मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से विभागीय आनलाईन पेमेंट–गेटवे या राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :– इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(4) स्वामित्व के संगणन की रीति :– उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह/वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 68 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्गत किये जाने वाले या ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रूपये 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(5) ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 निर्गत किया जाना :– पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत पट्टे हेतु पंजीकरण कराकर ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11, जैसा नियमावली के नियम 70(1) में अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(6) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :– यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियमावली के नियम–58 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :– पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :– यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :– इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) शर्तें:—

1— पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2— अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे उल्लिखित की जायेगी।

(7) स्टाम्प शुल्क :— स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष .... रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति के ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से—

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1—

2—

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1—

2—

प्रपत्र एम. एम. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (देखें नियम 17)

1– क्रम संख्या ....

2– पट्टेदार का नाम ....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता ....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक ....
(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक ....

6– भूमि का ब्यौरा ....
(क) तहसील ....
(ख) परगना ....
(ग) ग्राम ....
(घ) प्लाट नं. ....
(ङ) क्षेत्रफल ....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो ....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक ....
(क) खनिज ....
(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक ....
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक ....
(घ) वार्षिक पट्टाधनराशि ....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....
11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

12– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो ....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक ....

15– अभ्युक्तियाँ ....

16– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम. एन. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर–(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर

1– क्रम संख्या ....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या ....

3– घोषणा का दिनांक ....

4– तहसील ....

5– परगना (प्लांट) संख्या ....

6– ग्राम ....

7– गाटा (प्लांट) संख्या ....

8– क्षेत्रफल ....

9– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

10– नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना ....

(क) आदेश संख्या ....

(ख) आदेश का दिनांक ....

(ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम.एम. 06

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक............................ को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझें जायेंगें), एक पक्ष और ....

....

. यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष ....

....

....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा ....

....

.... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज .... निवासी .... आत्मज .... निवासी ....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म ....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय ....नगर में .... पर है, (जिन्हें आगे "लाईसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझें जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :

(कम्पनी का नाम) जो .... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय .... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पटटेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हों, उत्तराधिकारी भी समझें जायेगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .... रू0 (उच्चतम बोली की धनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए .... वर्ष/वर्षो को निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में .... हैक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप .... रूपये (उच्चतम बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि) की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधनराशि/स्वामित्वों प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है:-

.... (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है, की समस्त खनन तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक .... 20........... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू-खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम..................... के अन्तर्गत खसरा संख्या.............................. कुल क्षेत्रफल.............. है0 है, जो कि........................नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:-

उत्तर में - ....

दक्षिण में - ....

पूर्व में - ....

तथा

पश्चिम में - ....

और जिसे एतद्द्वारा 'उक्त भू-खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:-

1-

2-

3-

4-

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा ....टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेगें ....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक – जब किश्त दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अग्रिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ....किश्तों में विभागीय पे–मेंट गेटवे/कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान .... की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन– पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगें : (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय पट्टाधनराशि का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (converiences) को उखाड सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास से अधिक समय से छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात एक कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला खान अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठायें जायें, तो यह समझा जायेगा कि वह/वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसी स्थिति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझें।

शर्तें:–

1– पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे, उल्लिखित की जायेगी।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिवर्ष रू0 .... है।

इसके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र–एम. एम. 7

नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (देखें नियम–27)

1– क्रम संख्या ....

2– भूमि का विवरण ....

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) गाटा (प्लाट) संख्या ....

(ङ) क्षेत्रफल ....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल ....

4– खनिज या खनिजों का नाम ....

5– पट्टेदार का नाम ....

6– पट्टेदार का पूरा पता ....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक ....

9– पट्टाधनराशि ....

10– अभ्युक्ति ....

11– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (देखें नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान .... दिनांक ....20...........................

समय .... बजे

दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद..........................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय–6 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क .... रू. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता ....

(2)क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है..................

(3) यदि प्रार्थी:–

(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रीयता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान ....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता........

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार ....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम ....

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा ....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा– पत्र अपेक्षित है..........................

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे

ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल ....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियाँ (felling serise) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रैखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां।

(ग) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियां।

(घ) अद्यतन खनन आदेयता प्रमात्र पत्र जो सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो की प्रति।

(ङ) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।

(ज) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,
प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र– एम.एम. 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना –पत्र का रजिस्टर –(देखें नियम–56)

(1) क्रम संख्या ....

(2) खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

(3) खनिज का नाम ....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो:

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) प्लाट संख्या ....

(ङ) क्षेत्रफल ....

(5) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक

और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक

(ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र – एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 55)

श्री/सर्वश्री .... को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम .... में .... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दिया है और रू0.................................. (रूपया ....) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा .... रुपये प्रतिटन/घन मी0 की दर से स्वामित्व का भी रुपया .... अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से .... टन/घन मी0 खनिज को, आज से ....मास अर्थात दिनांक................. से दिनांक .... की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name: Form MM-11 No.
Lease Address: Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST...
9. Payable SGST..................................
10. Payable Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST...
10. Payble Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

प्रपत्र– एन.एम. 12

मासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद..............................

माह/वर्ष .... की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते ....

(2) पट्टे का विवरण .... खनिज का नाम ....

(3) पट्टे की अवधि .... क्षेत्रफल .... एकड़ में, ग्राम .... तहसील..............................

जिला ....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या .... कुशल .... अकुशल ....

माह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान .... पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक .... के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपिः–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोपालपानी, देहरादून।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

प्रपत्र–एम०एम० 13
अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र
का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

सेवा में,

....

....

महोदय,

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का नाम,पता.........

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का व्यवसाय.. ....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया, जाए, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) ....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए,...........

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है:–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–79 में निहित रीति के अनुसार रूपये ... . का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?...

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।...

(8) पक्ष/पक्षकारों, जो बनाये गये हों, यदि कोई हो, का/के नाम और पूरा पता........................ ....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या, जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों के संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) प्रार्थना

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।..............................

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय
प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।
यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

आज्ञा से,
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 औ०वि० / 257–2023–200+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या- 1182/VII-A-1/2024-24 ख/2007

देहरादून : दिनांक 01 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2024 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 (1) (ख) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-2 के नियम 6 के उपनियम (1) (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6- खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा अभिलेख:- (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होगा:-	6- खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा अभिलेख:- (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होगा:-
(ख) स्वस्थानें (in-Situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.00 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा। परन्तु स्वस्थानें (in-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।	(ख) स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.00 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा। परन्तु इस नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक से पूर्व आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के 4.00 है0 से कम तथा 2.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी तथा इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व गौण खनिज नीति-2015 एवं पूर्व नियमावली के प्राविधानानुसार स्वीकृत खनन पट्टों का नवीनीकरण जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा नवीनीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	परन्तु स्वस्थाने (In-Situ) [illegible] किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.500 एकड़ अर्थात 10 नाली होगा।

नियम 10 (1) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

10– खनन पट्टे की अवधि :– (1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगें, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य प्रतिबन्धित रहेगा।	10– खनन पट्टे की अवधि :– (1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगें, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु नदी तल अवस्थित निजी नाप भूमि/राजस्व/वन भूमि के 05 है0 तक एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के ऐसे खनन क्षेत्र, जो नेशनल पार्क/सेंचुरी की 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित हैं, को 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।

नियम 13 में उपनियम 5 का अंतःस्थापन

4. मूल नियमावली के अध्याय–2 के नियम 13 के उपनियम (4) के पश्चात उपनियम (5) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

13– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

(5) यदि इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदार/सफल निविदाकार का चयन किया जाता है तो, पट्टाधारक के द्वारा रायल्टी धनराशि/ पट्टायनराशि और अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को किये जाने हेतु पूर्व निष्पादित पट्टाविलेख को महानिदेशक/ निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म से संशोधित कराया जाना होगा।

नियम 18 (1) का संशोधन

5 मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 18 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

18– स्वामित्व :– (1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित	18– स्वामित्व :– (1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित

Scanned with OKEN Scanner

मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थाने चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थाने चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

परन्तु इस नियमावली के नियम-69 के प्राविधानों के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा उपखनिजों के स्वामित्व (रायल्टी)/पट्टाधनराशि का भुगतान किया जायेगा।

नियम 19 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-3 के नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

19- अपरिहार्य भाटक-

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों /एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी, परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नही। यदि पट्टा क्षेत्र में

19- अपरिहार्य भाटक-

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों /एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी, परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नही। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक

Scanned with OKEN Scanner

एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगा।	खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगा। परन्तु इस नियमावली के नियम-69 के प्राविधानों के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा नियम-19 की प्रतिस्थिति के अनुसार अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जायेगा।

नियम 20(2) का संशोधन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-4 के नियम 20 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

20-ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा:- (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/ निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।	20-ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा:- (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे। परन्तु नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के 05 है0 तक एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के ऐसे खनन क्षेत्र जो नेशनल पार्क/सेंचुरी की 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 26(1) का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–4 के नियम 26 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

26– पट्टा विलेख का निष्पादन :– 1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानों किस्म के उपखनिजों का पट्टाविलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।	26– पट्टा विलेख का निष्पादन :– 1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टों के आशय पत्र की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानों किस्म के उपखनिजों का पट्टाविलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु यदि इस नियमावली के नियम–69 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदार /सफल निविदाकार का चयन किया जाता है तो, पट्टधारक के द्वारा रायल्टी धनराशि /पट्टाधनराशि और अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को किये जाने हेतु पूर्व निष्पादित पट्टाविलेख को महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म से संशोधित कराया जाना होगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

जनपद देहरादून

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	देहरादून	यमुना 23/3	3.7047	J-11015/124/ 2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शासनादेश संख्या 1894/VII-A-1/2020–108ख/2015 दिनांक 24.12.2020	1.00	0.70
2		जाखन 13/1	18.000	J-1015/132/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शानादेश संख्या 1890/VII-A-1/2020–106 ख/2015 दिनांक 24.12.2020	1.70	1.19
3		जाखन 13/2	92.652	J-1015/138/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शानादेश संख्या 1392/VII-A-1/2021–107ख/2015, दिनांक 29.09.2021	5.468	3.827
4		टौंस 3/9 आरकेडिया	3.963	155-(174)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1091 /VII-A-1/2020–180ख/2013 दिनांक 18.10.2013	0.9600	0.67
5		आसन 14/7	4.00	150-(175)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1107/ VII-A-1/2022–182ख/2013, दिनांक 18 अक्टूबर 2022	0.580	0.40
6		टौंस 3/8	15.363	J-11015/87/ 2013-IAII(M) dt. 18 Dec 2015	शासनादेश सं0 1902/VII-A-1/2020–23ख/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	1.50	1.050
7		कालीराव 5/1	3.288	146-1(179)/2013 dt. 30-09-2015	शासनादेश संख्या 1160, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021	0.454	0.318
8		सारना 17/1	51.00	J-1015/91/2013-IA.II(M) dated 21-02-2017	शासनादेश संख्या 1346/37–ख/2017, दिनांक 16.10.2017	3.500	2.45

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद हरिद्वार

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	हरिद्वार	बंजारेवाला	29.265	J-11015/144/2013 -IA.II(M) dated 21-02-2017	शासनादेश संख्या 1349/40ख/17, दिनांक 16.10.2017	2.57	1.80

जनपद टिहरी गढवाल

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	टिहरी गढवाल	दुवडी	0.165	212-1(235)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1094, दिनांक 20.01.2023	0.04703	0.032
2		भल्डी	1.181	9-1(8)/2013 dt. 01-06-2013	शासनादेश संख्या 1092, दिनांक 30.12.2022	0.07800	0.0546
3		बागवान	5.256	101-1(8)/2013 dt. 01-06-2013	शासनादेश संख्या 106, दिनांक 20.01.2023	0.30000	0.21
4		झोटी	1.550	217-1(202)/2013 dt. 21-10-2015	शासनादेश संख्या 990, दिनांक 11.11.2021	0.44175	0.309
5		महेन्द्रपुर	2.406	219-1(200)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1877, दिनांक 28 नवम्बर, 2022	0.68571	0.479
6		श्रीपुर	1.365	216-1(203)/2013 dt. 21-10-2013	शासनादेश संख्या 1089, दिनांक 20.01.2023	0.38903	0.272
7		सौन्दाणा	3.624	151-1(176)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1093, दिनांक 20.01.2023	0.30000	0.21

वरिष्ठ ... अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

जनपद उधमसिंहनगर

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1.	उधमसिंहनगर	ग्राम मड़ैया गुलजारी	2.69	संख्या 208–1(221) / 2013 दिनांक 21 अक्टूबर 2013	शासनादेश संख्या 1444 / VII-A-1 / 2022–259(ख) / 2013, दिनांक 08.09.2023	0.887	0.710
2		ग्राम खमिया नं–4 (शान्तिपुरी)	1.006	211–1(218) / 13 दिनांक 21.10.2013	शासनादेश संख्या 1443 / VII-A-1 / 2022 –255ख / 2013 दिनांक 08 सितम्बर, 2023	0.331	0.281
3		ग्राम उकरौली	5.29	संख्या 22–1(25) / 2013 दिनांक 06 जुलाई, 2013	शासनादेश संख्या 1442 / VII-A-1 / 2022 –19ख / 2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2023	0.312	0.218

जनपद नैनीताल

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1	नैनीताल	भौर्सा	8.00	693/(27)/ 2013, दिनांक 30.04.2015	शासनादेश संख्या 1224 / VII-A-1 / 2021 –133 ख / 2015 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021	1.620	1.37
2		चापड़	5.630	257–01(179) / 2021, दिनांक 31.07.2021	शासनादेश संख्या 1545 / VII-A-1 / 2022–141ख / 2022, दिनांक 23.09.2022	0.25	1.548
3		अमियां	2.0	19–1(26) / 2013, दिनांक 06 जुलाई, 2013	शासनादेश संख्या 144 / VII-A-1 / 2024–141(ख) / 2013, दिनांक 27 फरवरी, 2024	2.88	2.44
4		हल्सो लग्गा बेरोसीर पट्टी मल्लाकोश्या	1.198	254–01(134) / 2024, दिनांक 02.09.2024	शासनादेश संख्या 1749 / VII-A-1 / 2024 / 05(75) / 2024, दिनांक 21.10.2024	0.796	0.276

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद पिथौरागढ़

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1	पिथौरागढ	भनोलीसेरा	0.320	16–01(30)/2013, दिनांक 06.07.2013	शासनादेश संख्या 1546/VII-A-1/ 2022–141ख/2022, दिनॉक 23.09.2022	0.24	0.168
2	पिथौरागढ	भण्डारीगांव	0.39	258–01(178)/ 2021, दिनांक 31.07.2021	शासनादेश संख्या 1316/VII-A-1/2022 –05(16)/2021 दिनॉक 18 अगस्त, 2022	0.25	0.175

जनपद चम्पावत

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1	चम्पावत	द्वियूरी	4.805	331–01 (200)/2021 दिनांक 12 नवम्बर, 2021	शासनादेश संख्या 2089/VII-A-1/ 2021–05(67)/2021 दिनॉक 23 दिसम्बर, 2021	2.88	2.016
2		नौलापानी	8.00	694–1/32/2013, दिनांक 30.04.2015	शासनादेश संख्या 1996, दिनांक 20 जनवरी, 2023	2.16	1.512

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

जनपद नैनीताल

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1	नैनीताल	गौला	1497.00	J-11015/ 363 /2009-IA – II(M) dated 13 April 2011	8–61 / 1999–FC(Pt. IV), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 1057 / VII-A-I / 2022 / 11(ख) / 2010, दिनांक 29 सितम्बर, 2022	117	99.45
2		नन्धौर–कैलाश नदी	468.00	J-11015/401 /2015-IA-II(M) dated 27-02-2018	8–34 / 2016–FC, दिनांक 06 सितम्बर, 2017	शासनादेश संख्या 432 / VII-A-I / 2023 / 41ख / 2017, दिनांक 20 मार्च, 2023	46.20	32.34
3		कोसी	254.00	J-015/360/2009 -IA-II(M) dated 13 April 2011	8–61 / 1999–FC(Pt. VI), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश सं0 2170 / VII-A-1 / 2021 / 21ख / 13, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021	36.54	29.232
4		दाबका	223.00	J-015/359/2009 -IA-II(M) dated 05 April 2011	8–61 / 1999–FC(Pt. V), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 2171 / VII-A-1 / 21 / 22 ख / 13, दिनांक 03.01.2022	15.28	12.224

जनपद हरिद्वार

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड़ में)
1	हरिद्वार	रवासन–1	99.19	J-015/367/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16 / 199–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1656 / VII-A-1 / 2021 / 48ख / 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021	10.903	7.63
2		रवासन–2	100.59	J-015/372/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16 / 2000–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1654 / VII-A-1 / 2021 / 51–ख / 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021	6.962	4.87
3		कोटावाली	74.67	J-015/374/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16 / 2000–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1659 / VII-A-I / 2021–48–ख / 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021	1.671	1.16

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद चम्पावत

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)
1	चम्पावत	शारदा	384.69	J-11015/362 /2009-IA-II (M) dated 15 April 2011	8–61 / 1999–FC (Pt. VII), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 2169 / VII-A-1 / 2021 / 19ख / 2019, दिनांक 23.12.2021	21.60	15.12

जनपद देहरादून

क0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (लाख टन में)	अपेक्षित राजस्व (करोड में)
1	देहरादून	स्वारना	23.75	163–01(140) / 2020 , दिनांक 25.09.2020	08बी / यू0सी0पी0 / 05 / 166 / 2016 / एफ0सी0 / 1496, दिनांक 08.10.2020	शासनादेश संख्या 1811 / 2020 / 5(35) / 20 दिनांक 26.11.2020	2.160	1.51
2		जाखन–1	195.00	267–01 (154) / 2021, दिनांक 12.08.2021	8–62 / 1999 FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 2091 / VII-A-1 / 2021 –05(63) / 2021, दिनांक 23.12.2021	29.685	20.77
3		सौंग–1	225.00	347–01(98) / 2024, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024	8–62 / 1999FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 662 / VII-A-1 / 2025–05(29) / 2025, दिनांक 03 अप्रैल, 2025	59.994	41.99
4		सौंग–2	136.85	346–01(99) / 2024, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024	8–62 / 1999FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 647 / VII-A-1 / 2025–05(26) / 2025, दिनांक 03 अप्रैल, 2025	40.644	28.45
5		जाखन–2	96.50	348–01(100) / 2024 , दिनांक 23 दिसम्बर, 2024	8–62 / 1999FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 663 / VII-A-1 / 2025–05(30) / 2025, दिनांक 03 अप्रैल, 2025	28.660	20.06

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार ई–निविदा के माध्यम से खनन पट्टा पर स्वीकृत/संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पट्टाधारक का नाम	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौड़ी गढ़वाल	श्री भारत भूषण	जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील पौड़ी के ग्राम मरोड़ा	4.002	शासनादेश संख्या 49/VII-A-1/2020/58ख/18, दिनांक 04.02.2020	69335	3961538
2	पौड़ी गढ़वाल	श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट	जनपद पौड़ी गढ़वाल, तहसील पौड़ी के ग्राम सरोड़ा	0.550	शासनादेश संख्या 1872/VII-A-1/2022/02(75)/2018, दिनांक 06.12.2022	12705	538049
3	रूद्रप्रयाग	श्री परमानन्द	जनपद एवं तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम सुमेरपुर	0.1	शासनादेश संख्या 465/VII-1/2020/19ख/ 2018, दिनांक 29 मई, 2020	2850	2480056
4	रूद्रप्रयाग	श्री धर्मेन्द्र सिंह	जनपद रूद्रप्रयाग की तहसील ऊखीमठ के ग्राम गबनीगांव,	0.490	शासनादेश संख्या 482/VII-A-1/2020/02(136)/18, दिनांक 27.05.2020	12320	4012038
5	रूद्रप्रयाग	श्री कुशाल सिंह	जनपद रूद्रप्रयाग की तहसील बसुकेदार	0.600	शासनादेश संख्या 1268/VII-A-1/2023–02(73)/2018, दिनांक 04.01.2024	19800	1514205
6	टिहरी गढ़वाल	श्री कैलाश रावत	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोल्टी के ग्राम दुबड़ा	0.300	शासनादेश संख्या 2681/VII-A-1/2019/02(84)/2018, दिनांक 30.12.2019	6066	2931855
7	टिहरी गढ़वाल	श्री पूर्ण सिंह रावत	जनपद टिहरी तहसील कीर्तिनगर ग्राम चोपड़िया	1.5	शासनादेश संख्या 676/VII-A-1/2020/02(9)/2019, दिनांक 25.06.2020	33000	13832670
8	टिहरी गढ़वाल	श्री दयाल सिंह	जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोल्टी के ग्राम तौल्याकाटल	1.20	शासनादेश संख्या 2369/VII-A-1/2021–02(82)/2018, दिनांक 06.01.2022	26400	1094400
9	टिहरी गढ़वाल	श्री उमंग उनियाल	जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम पुडसालगांव	0.300	शासनादेश संख्या 2822/VII-A-1/2024/02(115)/18, दिनांक 19.06.2024	16500	1201200
10	उधमसिंह नगर	मै0 रामा कन्स्ट्रक्शन	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	4.654	शासनादेश संख्या 2185/VII-A-1/2021–02(01)/18, दिनांक 06.01.2022	125651	16921797
11	उधमसिंह नगर	श्री पुनीत कुमार गोयल	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.876	शासनादेश संख्या 2186/VII-A-1/2021–02(88) /2018, दिनांक 06.01.2022	103277	14577813
12	उधमसिंह नगर	श्री अब्दुल अलीम	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.969	शासनादेश संख्या 2458/VII-A-1/2021–02(90) /2018, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018	79200	11068596
13	उधमसिंह नगर	श्री पुनीत कुमार गोयल	जनपद उधमसिंह नगर, सितारगंज के ग्राम साधुनगर	5.926	शासनादेश संख्या 232/VII-A-1/2021–48ख /18, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021	88890	21720888

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

14	उधमसिंह नगर	गुरुनानक इन्टरप्राईजेज	जनपद उधमसिंहनगर, सितारगंज के ग्राम उकरौली,	12.59	शासनादेश संख्या 3055 / VII-A-1 / 2023 / 02(3) / 2019, दिनांक 20.12.2023	498564	48510277
15	उधमसिंह नगर	श्री राजेश शर्मा	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज ग्राम मेरावराना	6.727	शासनादेश संख्या 3058 / VII-A-1 / 2022 / 02(89) / 2018, दिनांक 19.12.2023	242352	25531783
16	पिथौरागढ़	श्री अभिषेक रावत	जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम जमराडी रनतदा	0.482	शासनादेश संख्या 596 / VII-A-1 / 2020 / 20ख / 2018, दिनांक 01 जून, 2020	9009	606887
17	पिथौरागढ़	उत्तराखण्ड श्रम संविदा सहकारी समिति	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम माजरी काण्डा	0.546	शासनादेश संख्या 1135 / VII-A-I / 2020 / 15ख / 18, दिनांक 25.09.2020	6300	304372
18	पिथौरागढ़	श्री विजेन्द्र सिंह	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम माजरी काण्डा,	0.488	शासनादेश संख्या 1134 / VII-A-1 / 2020 / 18ख / 18, दिनांक 25.09.2020	7425	398746
19	पिथौरागढ़	श्री पवन सिंह माहरा	जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम जमराडी तोक फान्दता	0.255	शासनादेश संख्या 2750 / VII-A-1 / 20 / 23ख / 2018, दिनांक 10 फरवरी, 2020	2500	109710
20	पिथौरागढ़	श्रीमती दीपा देवी	जनपद एवं पिथौरागढ़ के ग्राम राडी खूंटी (1)	3.24	शासनादेश संख्या 2191 / VII-A-1 / 2021–51ख / 2018, दिनांक 05.01.2022	41580	1826376
21	पिथौरागढ़	श्री बंशीधर भट्ट	जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा	0.72	शासनादेश संख्या 198 / VII-A-1 / 2024 / 44ख / 2018, दिनांक 22 फरवरी, 2024	23760	2669141
22	पिथौरागढ़	मैसर्स मानसरोवर इन्टरप्राईजेज	जनपद व तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम चामताली	1.202	शासनादेश संख्या 124 / VII-A-1 / 2023 / 61ख / 2018, दिनांक 07 मार्च, 2024	14850	1083666

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 यथा संशोधित, 2024 के प्राविधानानुसार ई–निविदा के माध्यम से खनन पट्टा पर स्वीकृत/संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	लॉट का नाम	पट्टाधारक का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	शासनादेश का विवरण	उपखनिज की मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
01	श्री दीपक पोखरियाल	सांकरों	1.00	शासनादेश संख्या 152, दिनांक 15.03.2024	49320	5777777
02	मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 विनोद डोभाल	गैलाड़ी	1.375	शासनादेश संख्या 2526, दिनांक 04.04.2025	32130	2260000
03	श्री प्रदीप चन्द	तुल्याडा (सुनारगांव)	0.595	शासनादेश संख्या 2527, दिनांक 04.04.2025	61875	4831250
04	मै0 लोहाबगाडी कन्स्ट्रक्शनस प्लायर एण्ड ट्रासपोर्ट	जितासू	2.29	शासनादेश संख्या 345, दिनांक 07.03.2024	82440	33153000
05	श्री रामकृष्ण भट्ट	जयकण्डी	2.10	शासनादेश संख्या 350, दिनांक 28.02.2024	75600	25105555
06	श्री गणेश प्रसाद	मींग	0.801	शासनादेश संख्या 346, दिनांक 07.03.2024	28836	5121521
07	श्री दीपक पोखरियाल	चमरील–II	1.00	शासनादेश संख्या 1717, दिनांक 18.10.2024	36000	14333333
08	लोकपाल सिंह	सिम्बलचौड व बलभद्रपुर	4.25	शासनादेश संख्या 1841, दिनांक 18.11.2024	153000	10863000
09	अक्षत शाह	रतनपुर पट्टी सेनह	1.653	शासनादेश संख्या 1838, दिनांक 06.11.2024	59508	5504490
10	श्री सुमित सचदेवा	ओडाडाडर	1.794	शासनादेश संख्या 315 दिनांक 01.03.2024	96876	10101021
11	श्री अजय कुमार गुप्ता	जोशीखोला	1.50	शासनादेश संख्या 313, दिनांक 28.02.2024	81000	8910000
12	बेतालेश्वर महादेव स्टोन क्रेशर	बिसगुली–II	1.158	शासनादेश संख्या 534, दिनांक 04.03.2024	62532	11255760
13	श्री इन्दर सिंह रावत	बिसगुली–I	1.56	शासनादेश संख्या 2142, दिनांक 05.02.2025	84240	6949800
14	रणधीर सिंह	घोडिया हल्सौ	3.844	शासनादेश संख्या 2205, दिनांक 28.03.2025	207576	15464422
15	अजय गुप्ता	बारगल सिल्टोना	0.700	शासनादेश संख्या 535, दिनांक 14.03.2024	37800	2838780
16	अजय कुमार गुप्ता	मझेडा–1	0.400	शासनादेश संख्या 1816, दिनांक 13.12.2024	21600	1800000
17	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	लक्ष्मीपुर–3	1.218	शासनादेश संख्या 372,दिनांक 07.03.2024	65772	5675000
18	श्री गुलशन कुमार	लक्ष्मीपुर–4	1.224	शासनादेश संख्या 2146, दिनांक 29.11.2024	66096	5550000
19	भाई जी एण्ड कम्पनी	लक्ष्मीपुर–5	1.0599	शासनादेश संख्या 357,दिनांक 01.03.2024	57235	5723500
20	श्री इन्दर सिंह मेहता	गंगोली लक्ष्मीपुर	1.9185	शासनादेश संख्या 314,दिनांक 28.02.2024	103599	11395890
21	एल0एस0सी0 इन्फ्राटेक	लक्ष्मीपुर–1	1.20	शासनादेश संख्या 1837, दिनांक 21.11.2024	64800	5475600
22	लक्ष्मी स्टोन (एल0 एल0 पी0)	सुल्तानपुर–2	1.020	शासनादेश संख्या 1495, दिनांक 07.10.2024	55080	5508000
23	लक्ष्मी स्टोन (एल0 एल0 पी0)	सुल्तानपुर–1	0.796	शासनादेश संख्या 1493, दिनांक 07.10.2024	42984	4298400
24	श्री विवेक कुमार मिश्रा	रियासीबमन–1	3.00	शासनादेश संख्या 355, दिनांक 01.03.2024	162000	16288888
25	श्री उमेश चन्द्र खर्कवाल	मोस्टा	3.00	शासनादेश संख्या 386, दिनांक 29.11.2024	162000	16200000
26	श्री सूरज शर्मा	बिचूरी–1	1.75	शासनादेश संख्या 224 5दिनांक 05.02.2025	78750	566789
27	हरीश चन्द्र जोशी	बौतडी–1 (सरयू नदी)	1.400	शासनादेश संख्या 446, दिनांक 04.04.2025	63000	13230000

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

जनपद देहरादून के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	श्री जनक सिंह रावत पुत्र श्री सुन्दर सिंह रावत, विकासनगर, देहरादून।	ग्राम नवाबगढ़, तहसील विकासनगर	1.76	34444.20	4822188
2	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री भगवत प्रसाद, निवासी– मोथरोवाला, जनपद देहरादून।	ग्राम जस्सोवाला विकासनगर, देहरादून	2.2900	53922	7549080
3	श्री धीरज सिंह चौहानपुत्र स्व0 श्रीआनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।	ग्राम सहसपुर, विकासनगर, देहरादून	4.6140	152262	21316680
4.	श्री विजय ठाकुर पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी वार्डनम्बर 08 अस्पताल रोड, विकासनगर।	ग्राम ढकरानी, विकासनगर	2.5780	73473	10286220
5.	श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह निवासी धर्मावाला एवं श्री जितेन्द्र धवन पुत्र स्व0 श्री भगवान दास धवन निवासी शहदरा दिल्ली।	नवाबगढ़ डाकपत्थर तहसील विकासनगर, देहरादून।	1.913	49977	6996780

जनपद हरिद्वार के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	मै0 सुजल एसोसिएट्स 126 खेड़ीमुबारिक लक्सर जिला हरिद्वार।	रामपुर रायघटी	7.261	206942	28971880
2.	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री ओमकार, निवासी ग्राम कबूलपुर रायघाटी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार।	ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	0.9785	29060	4068400

जनपद उधमसिंहनगर के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	श्री बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी ग्राम लुथपुरा, पो0 फौजी कालोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।	तहसील बाजपुर के ग्राम नूरपुर	3.000	108000	15120000
2.	श्रीमती दीपाली पत्नी श्री रोशनलाल निवासी ग्राम रामजीवनपुर, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।	तहसील बाजपुर के ग्राम सुल्तानपुर	1.793	96822	13555080

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद रूद्रप्रयाग के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	श्री जय सिंह स्व0 श्री अब्बल सिंह, ग्राम गुप्त काशी, तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।	तहसील ऊखीमठ के ग्राम सौडी जनपद रूदप्रयाग।	0.640	14080	1408000

जनपद नैनीताल के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	श्री लक्ष्मण सिंह चुफाल पुत्र श्री पदम सिंह चुफाल, ग्राम बर्धो, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।	ग्राम बर्धो के खाता संख्या 112 के खसरा संख्या 1319	1.032	30650	4291000
2	श्रीमती पार्वती भण्डारी पत्नी श्री बी0एस0 भण्डारी निवासी वार्ड नं0 3 उत्तरांचल कॉलोनी, तहसील किच्छा जनपद उधमसिंहनगर।	ग्राम मल्ला बर्धो तहसील बेतालघाट	0.2370	5065.50	709170

जनपद पिथौरागढ़ के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	मै0 महाकाली एसोसिएट, ग्राउण्ड फ्लोर, बाईचान्समाल, निकटदेव सिंह गाउण्ड, पिथौरागढ़।	ग्राम दुबौला–विरतेलापट् टीचम डुंगरा	0.372	9696	969600

जनपद पौड़ी गढ़वाल के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल (है0 में)	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	अपेक्षित रायल्टी (रू0 करोड़ में)
1	श्री चक्रधर प्रसाद, पुत्र श्री महानन्द, निवासी ग्राम भल्ली, पो0ओ0 बांघाट तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल।	ग्राम भल्ली पट्टी लुगूरवल्ला, तहसील सतपुली	0.120	2640	264000

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य अन्तर्गत स्वीकृत स्टोन क्रेशरों का विवरण।

जनपद अल्मोड़ा

क्र0 सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
	चौखुटिया	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ग्राम अगरनौला, पो0 बसभीड़ा	2011
2	चौखुटिया	मैसर्स अरिदियो स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0 भागीदार श्री संजय बिष्ट पुत्र श्री मदन सिंह, नि0 ग्राम कनलगांव तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा एवं श्री राजेश रावत पुत्र श्री केशर सिंह, नि0 लोहरियासाल मल्ला, तहसील हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम थापला, तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा अन्तर्गत।	2023
3	भनोली	मैसर्स महादेव स्टोन क्रेशर प्रोपराईटर श्री चेचन प्रताप सिंह, नि0 ग्राम दशौला बडियार के पक्ष मे ग्राम दशौला बडियार, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा अन्तर्गत।	2024

जनपद बागेश्वर

क्र0 .	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	कपकोट	ईष्ट देव स्टोन क्रेशर द्वारा श्री नवीन परिहार पुत्र श्री खीम सिंह परिहार निवासी पेट्रोल पम्प माल रोड़ ठाकुरद्वारा वार्ड बागेश्वर।	2016
2	काफलीगैर	मै0 अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लि0 अल्मोड़ा, ग्राम झिरौली।	2003
3	बागेश्वर	मै0 कालिका स्टोन क्रेशर द्वारा श्री जीवन सिंह खेतवाल, तहसील बागेश्वर।	2005
4	कपकोट	बाराही स्टोन क्रेशर द्वारा श्री रमेश गड़िया, कपकोट	2013
5	गरूड़	भ्रमरी स्टोन क्रेशर तहसील गरूड, बागेश्वर	2022
6	गरूड़	मै0 माँ भगवती स्टोन क्रेशर, ग्राम जैंसर, गागरीगोल, तहसील गरूड	2022
7	गरूड़	मैसर्स सरस्वती आनन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम सिरकोट, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद चमोली

क्र0 सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	जोशीमठ	मै0 कुबेर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री जगदीश सिह पंवार ग्राम पाण्डुकेश्वर, तहसील जोशीमठ।	2015
2		मैसर्स नीलकण्ठ स्टोन क्रेशर द्वारा श्री विश्वेश्वर प्रसाद नैथानी, श्री ओमप्रकाष थपलियाल ग्राम पाण्डुकेश्वर, जोशीमठ।	2018
3		मैसर्स नन्दादेवी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री कान्ति प्रसाद थपलियाल ग्राम कुन्दी खोला, तहसील जोषीमठ।	2015
4		मैसर्स विश्णुगाढ स्टोन क्रेशर द्वारा श्री धर्म सिह भण्डारी पुत्र स्व0 इन्द्र सिह भण्डारी ग्राम हेलंग, जोशीमठ।	2016
5		मैसर्स जय प्रकाश पावर बैन्चर्स, विश्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, जोशीमठ।	2013
6		मैसर्स रितविक कम्पनी द्वारा मै0 एन0टी0पी0सी0, तपोबन विश्णुगाढ जल विद्युत परियोजना जोशीमठ, तपोवन	2014
7		मैसर्स कार्यपालक अभियन्ता, सीमा सडक संगठन, के0लो0नि0वि0, श्रीनगर गढवाल (गोटिंग जोशीमठ)।	2014
8		मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, तपोवन, जोशीमठ, चमोली।	2018
9		मैसर्स ऋशिगंगा पावर कारपोरेशन, स्टोन क्रेशर रैंणी, जोशीमठ।	2007
10		मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लि0, ग्राम गुलाबकोटी, पीपलकोटी, जोशीमठ।	2016
11	चमोली	मै0 कुंवर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री सुरेन्द्र सिह कुवर, ग्राम क्षेत्रपाल, तहसील व	2001
12		मै0 सिद्वकी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री अयाजुद्वीन सिद्वकी ग्राम नन्दप्रयाग (झूलाबगड) चमोली।	.2008
13		मै0 शाह स्टोन क्रेशर द्वारा श्री प्रमोद कुमार शाह, ग्राम चमतोली (नन्दप्रयाग) चमोली।	2008
14		मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लि0, ग्राम जैसाल, पीपलकोटी, चमोली।	2016
15	कर्णप्रयाग।	मै0 गायत्री स्टोन क्रेशर द्वारा श्री चण्डी प्रसाद चमोली, ग्राम जयकण्डी (लंगासू) तहसील कर्णप्रयाग, चमोली।	.2002
16		मै0 न्यू ईरा आर्किटेक्चरल इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती कमला भट्ट, ग्राम अपर बाजार कर्णप्रयाग।	1991
17	थराली।	मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी द्वारा श्री सुनीत मेहरोत्रा, थराली।	2016
18	पोखरी	मैसर्स भण्डारी स्टोन क्रेशर द्वारा श्री मनोज भण्डारी ग्राम आलीशाल तहसील पोखरी, चमोली।	2009

19	घाट	मैसर्स नन्दा स्टोन क्रेशर द्वारा श्री बिजेन्द्र सिह रावत, ग्राम लांखी, घिंघरांण, घाट।	2016
20	थराली	मैसर्स पिण्डर वैली स्टोन क्रेशर द्वारा श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गोपाल दत्त पाण्डेय निवासी मंगलसेरा, तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर व श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री चण्डी प्रसाद निवासी ग्राम अट्टू, पो0 देवाल, तहसील थराली, जिला चमोली।	नवम्बर 2021
21	चमोली	मै0 ओम सांई एसोसिएट द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद एवं श्रीमती मोनिका डंगवाल, महोब्बेवाला, देहरादून।	2022
22	चमोली	प्रकाश बर्त्वाल पुत्र स्व0 जोत सिंह बर्त्वाल, नि0 ग्राम चटोली, रा0उ0नि0 सैकोट, तहसील व जनपद चमोली	2023
23	जोशीमठ	मैसर्स श्री राधाकृष्ण स्टोन कम्पनी द्वारा श्री रामकृष्ण भट्ट पुत्र श्री राधाकृष्ण भट्ट, नि0 अपर बाजार कर्णप्रयाग के पक्ष मे जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के ग्राम करछी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 11 से 16 तथा खसरा संख्या 19 कुल रकबा 0.308 है0 भूमि मे।	2025

जनपद चम्पावत

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	टनकपुर (पूर्णागिरी)	मैसर्स कुमाऊँ स्टोन क्रेशर, ओल्ड बैराज रोड टनकपुर	1991
2.	टनकपुर (पूर्णागिरी)	मैसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ओल्ड बैराज रोड टनकपुर	1997
3.	चम्पावत	मैसर्स शोहम इनोवेटिव वैंचर्स चल्थी चम्पावत	2002
4.	चम्पावत	मैसर्स माँ पूर्णागिरी स्टोन क्रेशर, ग्राम ढोला	2014
5.	पूर्णागिरी (टनकपुर)	मैसर्स भरत कन्सट्रक्शन लोहिया हेड रोड़ अमाऊँ, जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम नौलापानी, तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर)	2021
6.	चम्पावत	मैसर्स अम्बिका स्टोन क्रेशर, सत्यलोक कालोनी, रणवीर गार्डन, ग्राम डहरिया, मुखानी, जनपद नैनीताल के द्वारा ग्राम दियूरी, तहसील व जनपद चम्पावत	2021
7.	चम्पावत	मै0 महादेव स्टोन क्रेशर (पार्टनर श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री आर0डी0 जोशी एवं श्री पुष्कर चन्द्र पाठक पुत्र श्री आर0डी0 पाठक) निवासी हाउस नं0–71, पालम सिटी, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम मोस्टा, तहसील एवं जनपद चम्पावत के क्षेत्रान्तर्गत	2022
8.	पूर्णागिरी (टनकपुर)	मैसर्स सूर्विकश स्टोन क्रेशर प्रो0 श्रीमती लविका जोशी पत्नी श्री सूरज शर्मा, नि0 ग्राम भनोली, तहसील चम्पावत के पक्ष मे ग्राम उदाली, तहसील पूर्णागिरी, टनकपुर, जिला चम्पावत अन्तर्गत	2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्त... ...दून

जनपद देहरादून

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	कालसी ग्राम बसान	श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम बसान पो0 कालसी, जनपद देहरादून।	वर्ष 2015
2.	कालसी ग्राम बसान	सूर्या स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री विनेश कुमार निवासी 785/303 आदर्श कालोनी, सुभाष नगर देहरादून।	वर्ष 2018
3.	विकासनगर	मै0 देवभूमि स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार पत्राचार पता कालेज रोड, वार्ड नं0–08 पहाडी गली, तहसील विकासनगर	2022
4.	विकासनगर	मै0 उत्तरांचल स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री दिव्यम गर्ग, श्री अरविन्द जैन व श्री मौ0 खालिद, पत्राचार पता कालेज रोड, पहाड़ी गली, तहसील विकासनगर	2022
5.	विकासनगर	मै0 यमुना स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार, पत्राचार पता कॉलेज रोड, वार्ड नम्बर 08, पहाडी गली, तहसील विकासनगर	2022
6.	विकासनगर	मै0 यमुना स्टोन क्रेशर द्वितीय पार्टनर श्री पंकज कुमार, श्री रमेश कुमार, पत्राचार पता कॉलेज रोड, वार्ड नम्बर 08, पहाडी गली, तहसील विकासनगर	2022
7.	विकासनगर	मै0 सांई चेस्टा इण्टरप्राईजेज एल0एल0पी0 प्रो0 श्री नाथीराम राणा, श्री जितेन्द्र कुमार डींगरा, पहाड़ी गली, ग्राम ढकरानी, विकासनगर	2022
8.	विकासनगर	मै0 श्री यमुना एसोसिएट एल0एल0पी0 पार्टनर श्री नाथीराम राणा व श्री नफीस अहमद, ग्राम तिमली, तहसील विकासनगर	2022
9.	विकासनगर	एन0एस0 डेवलपर्स प्रो0 श्री नदीम अहमद खान एवं श्री सचिन चौधरी, नि0 नियर रोहन मोटर्स वर्कशॉप, देहरादून	2022
10.	विकासनगर	बालाजी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री दलीप कुमार व अन्य ग्राम बालूवाला, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून	2022
11.	विकासनगर	माँ बाला सुन्दरी स्टोन क्रेशर, तहसील विकासनगर, ग्राम अब्दुल्लापुर, जनपद देहरादून।	2022
12.	विकासनगर	श्री गणपति स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर	2022
13.	विकासनगर	ए0आर0के0 एसोसिएट, ग्राम अब्दुल्लापुर राजावला, तहसील विकासनगर	2022
14.	विकासनगर	मै0 सत्यम शिवम सुन्दरम स्टोन क्रेशर पार्ट–2, श्री रैपाल सिंह बिष्ट, श्री विकास सिंह बिष्ट व अन्य	2023
15.	विकासनगर	गंगा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अनूप सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह, पता फ्लेट संख्या बी–03, ग्लैक्सी अपार्टमेन्ट, माउन्ट बी0 कालोनी, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	2023
16.	विकासनगर	मै0 पछुवादून स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री सिकन्दर सिंह, श्री सतीश अग्रवाल एवं दिलशाद अली, निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर सहसपुर, विकासनगर, जिला देहरादून के पक्ष मे ग्राम अब्दुल्लापुर, तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत।	2023
17.	विकासनगर	मै0 बालाजी स्टोन एग्रोगेट्स पार्टनर श्री जगदीप सिह संधु, श्री अमित व श्री जितेन्द्र संधु के पक्ष मे ग्राम करीमपुर, तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत	2023
18.	ग्राम माजरीग्रान्ट, तहसील विकासनगर	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, नि0 द्वितीय फ्लोर गुरूकृपा कॉम्पलेक्स, न्यू रोड, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, जिला देहरादून	वर्ष 2023
19.	विकासनगर	यूनिवर्सल स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री हरशुल मित्तल एवं श्री अभिनव जैन	वर्ष 2024
20.	ग्राम धुम्मीपुरा गंगभेवा (ढकरानी)	शिखर इन्टरप्राईजेज, ग्राम धुम्मीपुरा गंगभेवा (ढकरानी) के पक्ष मे ग्राम धुम्मीपुरा ढकरानी के खसरा संख्या 32मि, 33, 34 कुल रकबा 1.56695 मध्ये 1.4320 है0	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

21.	ग्राम धुम्मीपुरा गंगभेवा (ढकरानी)	डायमंड स्टोन क्रेशर, ग्राम धुम्मीपुरा गंगभेवा (ढकरानी), तहसील विकासनगर, जिला देहरादून	2024
22.	ग्राम ढकरानी	मैसर्स न्यू यमुना स्टोन क्रेशर एण्ड कन्सट्रक्शन, ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून	2024
23.	ग्राम ढकरानी	मैसर्स वैष्णों स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री करन सिंह, श्रीमती ममता, श्री राकेश कुमार, श्री सुनील कम्बोज, श्रीमती सीमा सैनी, पता विकासनगर रोड, देहरादून के पक्ष मे तहसील विकासनगर के ग्राम बेतवाली मण्डी के क्षेत्रान्तर्गत खसरास ख्या 1 से 6 तक कुल रकबा 1.5400 है0 भूमि।	2024
24.	ग्राम ढकरानी	मैसर्स श्री श्री स्टोन क्रेशर पार्टनर श्रीमती रत्ना वालिया, श्री विपिन मलिक आदि पता–द्वितीय तल फ्लैट नम्बर 301, आनन्द एफल्यून्स अपार्टमेन्ट, राजपुर रोड, बकरालगॉव, देहरादून के पक्ष मे तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 337, 335ख, 334ख, 335क, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 338 कुल रकबा 1.3580 है0 भूमि।	2024
25.	ग्राम अब्दुल्ला पुर	मैसर्स श्लोक स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विकास कुमार, श्री अरविन्द जैन, श्री अनिल कुमार के पक्ष मे ग्राम अब्दुल्लापुर, तहसील विकासनगर के खसरा संख्या 211मि0, 214क, 21, 208, 209, 210क, 206क, 207, 211 कुल रकबा 0.9402 है0 भूमि	2024
26.	ग्राम ढकरानी	रे स्टेट स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री युद्ववीर सिंह, श्री सुनील सिंह चौहान के पक्ष मे ग्राम ढकरानी के खसरा संख्या 367, 366क, 377मि, 369, 370ख, 374, 375, 372, 366क मि0 रकबा 1.2756 है0	2024

जनपद हरिद्वार

क्र0 सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	हरिद्वार	बाण गंगा स्टोन केशर, भोगपुर	1994
2	हरिद्वार	मै0 शिवालिक स्टोन केशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
3	हरिद्वार	श्री गणेश स्टोन केशर, भोगपुर	2007
4	हरिद्वार	मै0 शिवा स्टोन केशर, भोगपुर	2008
5	हरिद्वार	मै0 गौमुख स्टोन केशर विशनपुर झरड़ा	वर्ष 2013 से पूर्व
6	हरिद्वार	मै0 महाराजा स्टोन केशर, फेरूपुर रानखेड़ा	2008
7	हरिद्वार	मै0 महालक्ष्मी ग्रमोधोग संस्थान, चॉदपुर	2003
8	हरिद्वार	मै0 शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, कटारपुर, हरिद्वार	2003
9	हरिद्वार	मै0 श्री कृष्णा ग्रिट उद्योग, भोगपुर	2010
10	हरिद्वार	मै0 तिरूपति स्टोन केशर, भोगपुर	2000
11	हरिद्वार	मै0 ए0पी0 एशोसिएट, सजनपुर पीली, हरिद्वार	2009
12	हरिद्वार	मै0 लक्ष्मी स्टोन केशर प्रा0लि0, पथरी	1994
13	हरिद्वार	श्री शिव स्टोन क्रेशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
14	हरिद्वार	मै0 जयदुर्गे स्टोन क्रेशर, इब्राहिमपुर	1990

वरिष्ठ ... अधिकारी
भूतत्व एवं ... निदेशालय
उत्त... देहरादून

[illegible]	हरिद्वार	मै0 ऋषभ स्टोन केशर, इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से पूर्व वर्तमान में बंद हैं
16	हरिद्वार	मै0 शिव स्टोन क्रेशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2007
17	हरिद्वार	मै0 विजय लक्ष्मी स्टोन केशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
18	हरिद्वार	मै0 संगीता ग्रामोधोग संस्थान इब्राहिमपुर (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से
19	हरिद्वार	मै0 शिव शक्ति स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2003
20	हरिद्वार	मै0 कमल स्टोन क्रेशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2008
21	हरिद्वार	मै0 सांईसा स्टोन केशर, बिशनपुर	2006
22	हरिद्वार	मै0 महावीर स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	1993
23	हरिद्वार	मै0 नीरज स्टोन केशर, रानीपुर झाल	1996
24	हरिद्वार	मै0 श्री गंगा स्टोन केशिंग कम्पनी इब्राहिमपुर	1990
25	हरिद्वार	मै0 श्री राम स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	1994
26	हरिद्वार	मै0 श्री ओम केलावीर स्टोन क्रेशरसजनपुर पीली (तहसील हरिद्वार)	वर्ष 2013 से पूर्व
27	हरिद्वार	मै0 वर्धमान स्टोन केशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2003
28	हरिद्वार	मै0 शुभम् स्टोन केशर, इब्राहिमपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
29	हरिद्वार	मै0 श्री इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर), भोगपुर	1992
30	हरिद्वार	श्री दुर्गा स्टोन केशर भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
31	हरिद्वार	स्वंतत्र स्टोन केशर, भोगपुर	वर्ष 2013 से पूर्व
32	हरिद्वार	श्री बाला जी स्टोन केशर, भोगपुर	2014
33	हरिद्वार	मै0 इन्डेवर स्टोन केशर, सजनपुर पीली,	2013
34	हरिद्वार	श्री जी स्टोन केशर, भोगपुर	2013
35	हरिद्वार	दशमेश स्टोन केशर, भोगपुर	2014
36	हरिद्वार	मै0 नटराज स्टोन इण्डस्ट्रीज बिशनपुर	2015
37	हरिद्वार	मै0 श्री लक्ष्मी नारायण स्टोन केशर, शाहपुर शीतलाखेडा	2013
38	हरिद्वार	मै0 सेन्चुरी पार्क स्टोन केशर भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार (तहसील हरिद्वार)	2015

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

39	हरिद्वार	मै0 तेजस स्टोन केशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2014
40	हरिद्वार	मै0 एस0आर0 स्टोन केशर बिशनपुर झरडा तहसील व जिला हरिद्वार	2015
41	हरिद्वार	मै0 कुमार स्टोन केशर, हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानीमजरा	2015
42	हरिद्वार	मै0 श्री सॉई स्टोन इण्डस्ट्रीज, कटारपुर	2015
43	हरिद्वार	मै0 मॉ गंगा स्टोन केशर, बाडीटीप	2015
44	हरिद्वार	मै0 श्री राम स्टोन केशर, (इंडिया) शाहपुर शीतलाखेडा	2015
45	हरिद्वार	मै0 सिद्वि विनायक माईन एंड मिनरल्स, भोगपुर	2015
46	हरिद्वार	मै0 आर0 के0 त्यागी एंड कम्पनी, भोगपुर।	2015
47	हरिद्वार	मै0 महालक्ष्मी स्टोन केशर, भोगपुर	2015
48	हरिद्वार	मै0 शिव गंगा स्टोन केशर भोगपुर	2016
49	हरिद्वार	मै0 एस0एस0 स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप	2016
50	हरिद्वार	मै0 श्री कृष्णा स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2016
51	हरिद्वार	मै0 श्री हिमगंगे स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2017
52	हरिद्वार	मै0 महादेव माईन एण्ड मिनरल स्टोन केशर ग्राम भोगपुर	2016
53	हरिद्वार	मै0 एस0 जे0 स्टोन केशर ग्राम शाहपुर शीतलाखेडा	2016
54	हरिद्वार	मैसर्स एस0ए0रावत स्टोन केशर, ग्राम दादूबांस,	2017
55	हरिद्वार	मैसर्स मॉ वैष्णों स्टोन भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2017
56	हरिद्वार	मै0 गंगा स्टोन केशर, ग्राम चांदपुर तहसील व जिला हरिद्वार	2019
57	हरिद्वार	मै0 अवनि स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप	2016
58	हरिद्वार	मै0 अलकनन्दा स्टोन केशर ग्राम बाडीटीप तहसील व जिला हरिद्वार	2019
59	हरिद्वार	मै0 पाल स्टोन क्रेशर, ग्राम फेरूपुर रामखेड़ा	2018
60	हरिद्वार	मै0 महादेव गंगे स्टोन क्रेशर, ग्राम भोगपुर	2018
61	हरिद्वार	मै0 पृथ्वी स्टोन केशर ग्राम भोगपुर(तहसील हरिद्वार)	2017
62	हरिद्वार	दशमेश स्टोन केशर, ग्राम समसपुर कटेबड़, त0 व जिला हरिद्वार	2018

खनिज अधिकारी
एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

[illegible]	हरिद्वार	मै0 स्टार पोली इन्डस्ट्रीज शाखा शिव ग्रिट उद्योग स्टोन केशर ग्राम फेरूपुर रामखेड़ा (तहसील हरिद्वार)	2016
64	हरिद्वार	मै0 बजीर स्टोन क्रेशर ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2018
65	हरिद्वार	मै0 हरिद्वार स्टोन क्रेशर, ग्राम भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार	2018
66	**लक्सर**	श्री अमित भारद्वाज स्टोन केशर, भिक्कमपुर जीतपुर,	2014
67	लक्सर	मै0 हाईवे कन्स्ट्रशन एण्ड केशर ग्राम फतवा (तहसील लक्सर)	2016
68	लक्सर	मै0 किसान स्टोन केशर ग्राम महतोली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	2018
69	लक्सर	मै0 गणपति स्टोन केशर ग्राम जवाहरखान उर्फ झीवरहेडी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार	2018
70	लक्सर	मै0 सूर्या स्टोन केशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा (तहसील लक्सर)	2016
71	लक्सर	लिमरा इन्डस्ट्रीज ग्राम भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	2016
72	लक्सर	वानिया स्टोन क्रेशर, ग्राम महतोली।	2018
73	**भगवानपुर**	मै0 राणा स्टोन क्रेशर बंजारेवाला	2004
74	भगवानपुर	मै0 हिमालय सोसा0 फार डवलमेंट बंजारेवाला	2003
75	भगवानपुर	मै0 शिव शक्ति गामोधोग संस्थान बंजारेवाला	2002
76	भगवानपुर	मै0 गंगोत्री गामोधोग संस्थान शहीदवाला	2003
77	भगवानपुर	गढ़वाल स्टोन केशर, बंजारेवाला	2004
78	भगवानपुर	मै0 एल्टाईका स्टोन क्रेशरबुधवा शहीद	2008
79	भगवानपुर	मै0 दुर्गा ग्रामोधोग संस्थान, बन्जारेवाला	2002
80	भगवानपुर	मै0 महाशक्ति ग्रामोधोग संस्थान बंजारेवाला	2003
81	भगवानपुर	मै0 फ्रैन्डस कल्याण समिति स्टोन क्रेशरबंजारेवाला	2008
82	भगवानपुर	मै0 अमित ग्रमोधोग संस्थान, बन्जारेवाला	2004
83	भगवानपुर	जय भवानी स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2013
84	भगवानपुर	मै0 इण्डिया स्टोन केशर, दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद,	2013

वरिष्ठ ...निक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
...खण्ड, देहरादून

85	भगवानपुर	जी नबाज स्टोन केशर, बुधवाशहीद,	2016
86	भगवानपुर	मै0 देव भूमि स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2014
87	भगवानपुर	मै0 हरिद्वार ग्रिट स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट	2015
88	भगवानपुर	मै0 खालसा स्टोन केशर, बन्जारेवाला	2016
89	भगवानपुर	मै0 मां भगवती स्टोन केशर, बन्जारे वाला ग्रन्ट	2016
90	भगवानपुर	मै0 आर्या स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला	2016
91	भगवानपुर	मै0 नीलकण्ठ इन्डस्ट्रीज स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017
92	भगवानपुर	मै0 हार्दिक स्टोन केशर प्रोडक्टस ग्राम दौलतपुर उर्फबुधवा शहीद	2017
93	भगवानपुर	मै0 कृष्णा एसोसियेट ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2017
94	भगवानपुर	मै0 सिद्धान्त केसिंग वर्क्स ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017
95	भगवानपुर	मै0 कुबेर कुटिया स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017
96	भगवानपुर	मै0 राम रहीम स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2017
97	भगवानपुर	मै0 महान स्टोन केशर ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद	2016
98	भगवानपुर	मै0 मंगलम स्टोन केशर ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट	2017
99	भगवानपुर	मै0 लक्ष्मी स्टोन केशर ग्राम बन्जारेवाला गन्ट	2014
100	भगवानपुर	मैसर्स एवरेस्ट स्टोन केशर, ग्रम बन्जारेवाला	2017
101	भगवानपुर	मै0 श्री गणेश स्टोन केशर, शहीदवाला ग्रन्ट तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार	2018
102	भगवानपुर	मै0 राज स्टोन केशर दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार	2018
103	भगवानपुर	मै0 न्यू जय भवानी स्टोन क्रेशर, दौलतपुर, हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	2019
104	भगवानपुर	पियूष शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम बंजारावाला ग्रन्ट	2018
105	भगवानपुर	मै0 हरि गंगा एसोसिएट्स, ग्राम लामग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	2021

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

106	हरिद्वार	मै0 अनादित्य स्टोन क्रेशर भागीदार श्री सुनील पवार, श्री रवि कुमार चौहान, श्रीमती मनिका अहलुवालिया, श्री रामकुमार, ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार	2022
107	भगवानपुर	मै0 शानेहिन्द स्टोन क्रेशर पार्टनर मै0 शहजाद पुत्र श्री सौकत, नि0 ग्राम सिकरौढ़ा, भगवानपुर	2022
108	हरिद्वार	मै0 गंगोत्री स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम हरसीवाला, हरिद्वार	2022
109	हरिद्वार	मै0 शुभ स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री शुभम कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार नि0 ग्राम महतौली, पो0 सुल्तानपुर	2022
110	हरिद्वार	मै0 श्री शनेश्वर स्टोन क्रेशर कम्पनी, प्रो0 श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द्र शर्मा,	2022
111	हरिद्वार	मै0 हरि ओम मिनरलस एण्ड माईन्स, ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट	2022
112	हरिद्वार	मै0 दून स्टोन क्रेशर, प्रो0 मोहसीन अहमद, नि0 ग्राम कुड़कावाला, तहसील डाईवाला	2022
113	हरिद्वार	मैसर्स यूनिवर्सल स्टोन क्रेशर इण्टरप्राईजेज, ग्राम लालवाला खालसार मजवता, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।	2022
114	हरिद्वार	मैसर्स नारायण स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री छत्रपाल पुत्र श्री लायकराम, नि0 ग्राम हरसीवाला, पो0 बादशाहपुर, तहसील व जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम भोगपुर, तहसील व जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत	2023
115	लक्सर	मैसर्स तुलसी स्टोन क्रेशर, ग्राम मुज्जफरपुर गुजरा महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम महतौली क्षेत्रान्तर्गत।	2023
116	हरिद्वार	मैसर्स श्री बद्री केदार स्टोन क्रेशर, ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जिलर हरिद्वार अन्तर्गत।	2023

जनपद नैनीताल

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	हल्द्वानी	विन्ध्य वासिनी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑं, हल्द्वानी	2001
2.	हल्द्वानी	मै0 एल0एस0सी0 इन्फ्राटेक लि0 ग्रान गंगापुर, हल्द्वानी	2015
3.	हल्द्वानी	जय श्री राम, स्टोन क्रेशर, प्रा0लि0, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑं, हल्द्वानी	1999
4.	हल्द्वानी	जे0पी0स्टोन क्रेशर, ग्राम हरिपुर, फुटकुऑं, हल्द्वानी	2001
5.	हल्द्वानी	के0सी0एस0 इन्फ्राटेक एल0एल0पी0 ग्राम हरिपुर, फुटकुऑं, हल्द्वानी	2001
6.	हल्द्वानी	महाकाली स्टोन कम्पनी, ग्राम देवलामल्ला, पो0 कुंवरपुर	2005
7.	हल्द्वानी	मै0 महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर, ग्राम गंगापुर चोरगलिया।	2007
8.	हल्द्वानी	हिमालया स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम फत्ताबंगर, लालकुऑं, नैनीताल	1985
9.	हल्द्वानी	हिमालया ग्रिट, ग्राम फत्ताबंगर, लालकुऑं, नैनीताल	1987
10.	लालकुआं	मै0 सदभाव इंजीनियरिंग लि0, ग्राम पाडलीपुर, लालकुऑं, नैनीताल	2018
11.	लालकुआं	मै0 सुभाष स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बच्चीपुर मोटाहल्दू लालकुऑं	2003
12.	लालकुआं	मै0 बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, बच्चीपुर मोटा हल्दू लालकुऑं	2013
13.	लालकुआं	मै0 पाल स्टोन इण्डस्ट्रीज, बमेटाबंगर, लालकुऑं	1989

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

14.	लालकुआं	मै0 कृष्णा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुरूफार्म, हल्दूचौड़ लालकुऑ	1986
15.	लालकुआं	जगदम्बा स्टोन इण्डस्टीज, ग्राम बच्चीपुर मोटाहल्दू, लालकुऑ	1988
16.	बेतालघाट	बेतालेश्वर स्टोन एण्ड कन्स्ट्रक्शन ग्राम अमेल बेतालघाट, नैनीताल	2018
17.	बेतालघाट	सांई स्टोन क्रेशर, तल्ला गांव बेतालघाट	2018
18.	बेतालघाट	श्री बैजनाथ स्टोन क्रेशर तल्लागांव बेतालघाट	2016
19.	बेतालघाट	मारूती नन्दन शाह स्टोन क्रेशर, तल्लागांव बेतालघाट	2016
20.	बेतालघाट	मै0 बेतालेश्वर महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम सेठी, बेतालघाट	2018
21.	बेतालघाट	मॉ गिरीजा स्टोन क्रेशर तल्लागांव बेतालघाट	2016
22.	बेतालघाट	मै0 बाबाजी स्टोन क्रेशर ग्राम अमेल, बेतालघाट	2013
23.	बेतालघाट	मै0 मॉ नन्दा स्टोन क्रेशर नैनीचौक बेतालघाट	2015
24.	रामनगर	न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर कम्पनी, ग्राम शिवलालपुर, रामनगर, ननैताल	1984
25.	रामनगर	मै0 अशोका स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, रामनगर	1986
26.	रामनगर	मै0 महाबली स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, रामनगर, नैनीताल	2015
27.	रामनगर	मै0 बदेशा स्टोन क्रेशर, ग्राम जीवानन्द, रामनगर नैनीताल	1997
28.	रामनगर	मै0 प्रकाश स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर रामनगर	2016
29.	रामनगर	मै0 पन्नू स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर रामनगर	2018
30.	रामनगर	मै0 श्रीगुरुहर राय स्टोन क्रेशर, सोबनपुर रामनगर	2017
31.	रामनगर	मै0 मनसा स्टोन क्रेशर, ग्राम सक्खनपुर, रामनगर	2014
32.	रामनगर	मै0 पुरेवाल स्टोन क्रेशर, ग्राम वीरपुर लच्छी, रामनगर	2013
33.	रामनगर	मै0 ढिल्लन स्टोन क्रेशर, ग्राम वीरपुरलच्छी रामनगर	2006
34.	रामनगर	मै0 आर0के0 अग्रवाल, एग्री फार्मा प्रा0लि0 स्टोन क्रेशर, ग्राम सक्खनपुर रामनगर	2018
35.	रामनगर	मै0 मनराल एसोशिएट प्रा0लि0, सक्खनपुर रामनगर	2018
36.	रामनगर	मै0 गुरू स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, जरसागंधा रामनगर	2016
37.	लालकुआं	मै0 उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, लालकुऑ	2002
38.	लालकुआं	मै0 देवभूमि स्टोन क्रेशर, लालकुऑ	2007
39.	लालकुआं	मै0 विनोद स्टोन प्रोडक्ट, लालकुऑ	2013
40.	लालकुआं	मै0 सागर स्टोन क्रेशर, लालकुऑ	2007
41.	लालकुआं	मै0 हल्द्वानी स्टोन क्रेशर, लालकुऑ	1986
42.	हल्द्वानी	मै0 लालकुऑ स्टोन क्रेशर, हल्द्वानी	1991
43.	रामनगर	मै0 कटारिया स्टोन क्रेशर, ग्राम पापडी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।	2022
44.	रामनगर	मै0 एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम वीरपुर तारा, तहसील रामनगर	2022
45.	रामनगर	मै0 संत कबीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम मढैया, तहसील रामनगर	2022
46.	रामनगर	मै0 पीरूमदारा स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर	2022

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड

47.	रामनगर	मै० गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम पापडी, तहसील रामनगर	2022
48.	रामनगर	मै० पीफाउल स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, रामा मन्दिर मार्ग, तहसील रामनगर	2022
49.	रामनगर	मै० नैनी स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, ग्राम मढैया, तहसील रामनगर	2022
50.	रामनगर	मै० रिद्वि सिद्वि स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर	2022
51.	रामनगर	मै० कोसी नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर	2022
52.	रामनगर	मै० बाबा गुरूदित्ता स्टोन क्रेशर, प्रो० सत्यपाल सिंह, ग्राम फसियापुरा, तहसील काशीपुर के पक्ष मे ग्राम शिवपुर टाण्डा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	2022
53.	बेतालघाट	माँ शीतला ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम खैरनी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल	2023
54.	बेतालघाट	मैसर्स माँ शैलपुत्री स्टोन क्रेशर प्रा०लि० के पक्ष मे ग्राम खैरनी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत।	2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

जनपद पौड़ी गढ़वाल

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	पौड़ी	मैसर्स डांडा नागराजा स्टोन क्रेशर ग्राम– कुण्ड पट्टी पू0 मनियारस्यूं तहसील पौड़ी	2008
2	पौड़ी	श्री मै0 शिवीन्द्रा इन्टर प्राइजेज ग्राम– रिंगल्टी पट्टी चलणस्यूं तहसील पौड़ी।	2015
3	पौड़ी	जयकृत सिंह रावत बेदुलगांव तहसील पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2015
4	श्रीनगर	श्री प्रदीप तिवाड़ी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवाड़ी, ग्राम– धोना लग्गा उफल्डा तहसील श्रीनगर।	2015
5	सतपुली	चौहान स्टोन क्रेशर ग्राम– मलेठी तहसील सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2006
6	कोटद्वार	मै0 सिद्धबली स्टोन्स भुपदेवपुर हल्दूखाता तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल।	2015
7	श्रीनगर	श्री दीपक पोखरियाल निवासी– ग्राम पोखरी पट्टी भदूरा तहसील प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल	2021
8	जाखणीखाल	मैसर्स मानव स्टोन क्रेशर, प्रो0 रणधीर सिंह नेगी पुत्र श्री कुंवर सिंह, निवासी मोतीचूर हरिपुर कला, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून के पक्ष मे **ग्राम बिजनी बड़ी पट्टी तल्ला ढांगू–1, तहसील जाखणीखाल अन्तर्गत।**	2021
9	श्रीनगर	अलकनन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री उदय सिंह बिष्ट, निवासी काण्डा लगा, रामपुर पट्टी चलणस्यूँ, हाल निवासी श्रीकोट गंगानाली, तहसील श्रीनगर के पक्ष मे **ग्राम काण्डा लगा रामपुर, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत।**	2021
10	सतपुली	मै0 हिमालयन स्टोन क्रेशर प्रो0 मातबर सिंह नेगी, निवासी–361 वार्ड नं0–1, सर्किट हाउस पौड़ी गढ़वाल के पक्ष मे **ग्राम डोवाल पट्टी उ0 मौदडस्यूँ–1, तहसील सतपुली जनपद पौडी गढवाल अन्तर्गत।**	2021
11	श्रीनगर	माँ एसोसिएट पार्टनर श्री दीपक नैथानी पुत्र श्री परिपूर्णानन्द नैथानी, निवासी–लेन नं0 02, संस्कार इन्कलेव, बंजारावाला, जनपद देहरादून व अन्य के पक्ष में ग्राम गहड़ पट्टी चलणस्यूँ, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 11 से 16 तथा खसरा संख्या 18 से 24 तक कुल रकवा 0.350 है0 (3500 वर्ग मीटर) भूमि अन्तर्गत।	2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद पिथौरागढ़

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	पिथौरागढ़	मै0 सन्तुष्टि स्टोन क्रेशर प्रोपराइटर श्री कृष्णबहादुर मल पुत्र श्री देवजंग मल नि0 ग्राम दौली,पट्टी खर्कदौली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़	2012
2.	पिथौरागढ़	मै0 कमल जियोटेक सर्विसेज, प्रो0 हरीष चन्द जोषी, सिनेमा लाईन पिथौरागढ़ (पूर्व में एम0 जी0 एसोसिएट नाम से स्थापित स्थल)	2016
3.	पिथौरागढ़	माँ गुरना एसोसिएट,प्रो0बसन्त बल्लभ भट्ट पुत्र श्री खीमानन्द भट्ट निवासी गुरना हाल वड्डा टैक्सी स्टैण्ड, निकट इन्द्रा अम्मा भोजनालय, पिथौरागढ़।	2016
4.	पिथौरागढ़	मै0माँ महाकाली,एसोसिएट ग्राउन्ड प्लोन बाईचान्स मॉल देवसिंह ग्राउन्ड के सामने पिथौरागढ़।	2016
5.	पिथौरागढ़	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह रावत,निवासी धारचूला रोड,पिथौरागढ़।	2016
6.	पिथौरागढ़	मै0 जगदम्बा स्टोनक्रेषर,प्रो0 श्रीमती कुमुद महर निवासी ग्राम चैंसर तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़।	2019
7.	धारचूला	मै0 गर्ग एण्ड गर्ग कम्पनी पॉगला तहसील धारचूला,जनपद पिथौरागढ़।	2017
8.	धारचूला	सेनानी 36 वी0वाहिनी,भा0ति0सी0पुलिस, बाराकोट रोड जिला चम्पावत। **(भारत–चाईना सड़क निर्माण कार्य हेतु)**	2018
9.	डीडीहाट	मैसर्स माँ त्रिपुरा एसोसिएट प्रो0 श्री हरीश चन्द्र जोशी, श्री रणवीर सिंह, श्री मनोज पाठक, श्री हरीश सिंह व श्री अजय महर, नि0 बाईचान्स मॉल, नियर देव सिंह मैदान, पिथौरागढ़	2022
10.	डीडीहाट	मै0 माँ भगवती इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री मनोज पाठक पुत्र श्री डी0सी0 पाठक, ग्राम भड़कटिया, पिथौरागढ़	2022
11.	डीडीहाट	मै0 डीडीहाट स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, तहसील डीडीहाट	2022
12.	डीडीहाट	मै0 डीडीहाट स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री नरेन्द्र सिंह देऊपा एवं श्री दीपक चुफाल, ग्राम चौबाटी, तहसील डीडीहाट	2022
13.	तेजम	माँ होकरा स्टोन क्रेशर प्रा0लि0 पार्टनर श्री ठाकुर सिंह गढिया पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह गढिया व श्री पूरन सिंह गढिया पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह गढिया, नि0 हरिपुर पूर्णानन्द, हल्द्वानी नैनीताल	2022
14.	पिथौरागढ़	मै0 पंकज सप्लायर्स प्रो0 श्री पंकज जोशी, निवासी चन्द्रभागा, पो0 ऐंचोली, तहसील व जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष मे ग्राम गोगना, तहसील व जिला पिथौरागढ़ अन्तर्गत	2022
15.	गणाई–गंगोली	मैसर्स सेराघाट स्टोन क्रेशर, निवासी शिवपुरी जवाहर ज्योति, दमुवाढुंगा, भोटिया पड़ाव हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम कल्वे फरसोला, तहसील गणाई–गंगोली, जनपद पिथौरागढ़	2023
16.	बंगापानी	श्री विनोद सिंह पुत्र श्री रूद्र सिंह, नि0 ग्राम गोपालबाड़ा (मपवालबाड़ा), पट्टी दरकोट, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़।	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

जनपद रूद्रप्रयाग

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	ऊखीमठ	मैसर्स एल0 एण्ड टी0, सिंगोली–भटवाडी जल विद्युत परियोजना, ग्राम बेडूबगड।	–
2		मैसर्स शिव गंगा स्टोन क्रेशर, जलई, भीरी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।	2016
3		मैसर्स मधुगंगा स्टोन क्रेशर, द्वारा श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कुषाल सिंह, निवासी ग्राम ऊखीमठ।	2015
4		मैसर्स माँ राकेश्वरी स्टोन क्रेशर, उद्योग पौण्डार (बिरोली) रूद्रप्रयाग द्वारा श्री बलवन्त सिह रावत निवासी ग्राम तिलवाडा।	2014
5	रूद्रप्रयाग।	पुनीता रावत स्टोन क्रेशर, तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग।	2015
6		मैसर्स नीलकंठ स्टोन क्रेशर, श्रीमती आरती उनियाल पत्नी श्री शैलेन्द्र निवासी ग्राम गोदमू, जनपद टिहरी गढ़वाल।	2015
7		मैसर्स रूद्रा स्टोन क्रेशर, द्वारा श्री कमलेष भट्ट पुत्र श्री महिमानन्द भट्ट, ग्राम झिरमोली, पटवारी वृत्त पुनाड़, तहसील रूद्रप्रयाग।	2012
8		मैसर्स शिव शक्ति इण्टर प्राइजेज को ग्राम रतूडा पटवारी क्षेत्र रतूडा तहसील रूद्रप्रयाग।	2018
9	बसुकेदार	मैसर्स मन्दाकिनी स्टोन क्रेशर, ग्राम बस्टी, तहसील बसुकेदार, जनपद रूद्रप्रयाग	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद टिहरी गढ़वाल

क्र0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	कीर्तिनगर	माँ दुर्गा स्टोन क्रेशर, ग्राम सुपाणा, तहसील कीर्तिनगर।	—
2	कीर्तिनगर	मै0 भगवती एसोसिएट्स स्टोन क्रेषर, ग्राम सुपाण, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर।	—
3	कीर्तिनगर	मै0 सागर स्टोन क्रेशर, ग्राम रानीहाट, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर।	—
4	कीर्तिनगर	मै0 सत्यम शिवम सुन्दरम स्टोन क्रेषर, ग्राम मलेथा, तहसील कीर्तिनगर।	2013
5	कण्डीसौड़	मै0 भागीरथी स्टोन क्रेशर, ग्राम भल्डियाणा, पट्टी जुवा, तहसील कण्डीसौड	—
6	कण्डीसौड़	मै0 भागीरथी स्टोन क्रेशर, ग्राम जसपुर चक नागराजाधार, तहसील कण्डीसौड़।	—
7	कण्डीसौड़	मैसर्स न्यू गणपति स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री सुमन सिंह बिष्ट, ग्राम धरवालगांव, तहसील कण्डीसौड के पक्ष मे ग्राम कैंच्छू, तहसील कण्डीसौड, जिला टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत	2017
8	कण्डीसौड़	मैसर्स रूद्रा स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री हिम्मत सिंह बिष्ट, ग्राम धरवालगांव, तहसील कण्डीसौड़, जनपद टिहरी गढ़वाल के पक्ष मे ग्राम कण्डी, तहसील कण्डीसौड, जिला टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत	2017
9	टिहरी	मै0 नेशनल कन्सट्रक्सन स्टोन क्रेशर, ग्राम मक्षोली, कमान्द, तहसील टिहरी।	2018
10	घनसाली	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, स्टोन क्रेषर ग्राम रगड़ी–सांकरी, पट्टी भिलंग, तहसील घनसाली।	2016
11	नैनबाग	शिव स्टोन क्रेशर, ग्राम काण्डी मल्ली, तहसील नैनबाग, टि0ग0।	2011
12	नैनबाग	श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डीर स्टोन क्रेषर, ग्राम खेड़ा तल्ला, तहसील धनोल्टी।	—
13	घनसाली	मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्षन कम्पनी स्टोन क्रेशर, ग्राम देवल, तहसील घनसाली, टि0ग0।	—
14	कीर्तिनगर	मै0 शिव आर्शीवाद स्टोन क्रेशर ग्राम रानीहाट तहसील कीर्तिनगर।	—
15	प्रतापनगर	विशाला देवी राणा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओनालगांव, तहसील प्रतापनगर, टि0ग0।	—
16	देवप्रयाग	श्री हरीश चन्द्र भट्ट निवासी ग्राम पाली जनपद टिहरी गढ़वाल	2019
17	कीर्तिनगर	मै0 विजय स्टोन क्रेशर, ग्राम मलेथा, तहसील देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।	2021
18	धनोल्टी	मैसर्स जय माँ सुरखण्डा स्टोन क्रेशर, ग्राम महेन्द्रपुर, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल।	2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

19	बालगंगा	मैसर्स जय बेलेश्वर महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम कोटी पट्टी थाती कठूड़, तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल	2023
20	धनोल्टी	मैसर्स टिहरी स्टोन क्रेशर, भागीदार श्री यतेन्द्र बिजल्वाण व अन्य के पक्ष मे ग्राम धौलागिरी, तहसील धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल।	2024
21	कण्डीसौड़	मैसर्स असवाल स्टोन क्रेशर प्रो0 दीपकराज सिंह असवाल, ग्राम जसपुरचक, जनपद टिहरी गढ़वाल।	2024
22	धनौल्टी	मैसर्स अनन्या एसोसिएट्स के पक्ष मे ग्राम दुबडी, तहसील धनोल्टी	2024
23	नैनबाग	मैसर्स बजरंगबली स्टोन क्रेशर, ग्राम चडोगी, तहसील नैनबाग	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद उधमसिंहनगर

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	काशीपुर,	मै० सूरज क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर,	2013
2.	काशीपुर	मै० ब्रुक हिल इण्टर नेशनल, प्रा०लि० ग्राम ढकियाकला तहसील काशीपुर	2013
3.	काशीपुर	मै० आनन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियावाला	2013
4.	काशीपुर	मै० यू०के० स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर	2014
5.	काशीपुर	मै० मार्डन स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम पच्चावाला, तहसील काशीपुर	2015
6.	काशीपुर	मै० काशीपुर स्टोन क्रेशर, ग्रान ढकियावाला, तहसील काशीपुर	2016
7.	काशीपुर	नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर	2016
8.	काशीपुर	मै० मुरलीवाला स्टोन इण्डस्ट्रीज लि०, ग्राम महादेवनगर, तहसील काशीपुर	2016
9.	काशीपुर	मै० नीलकंठ स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियाकला, तहसील काशीपुर	2017
10.	काशीपुर	मै० महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर	2018
11.	काशीपुर	मै० महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील काशीपुर	2016
12.	बाजपुर	मै० बाजपुर स्टोन क्रेशर, ग्राम विक्रमपुर, तहसील बाजपुर	2009
13.	बाजपुर	मै० हिमालयन बिल्ड स्टोन लि०, ग्राम लधुपुरा, तहसील बाजपुर	2012
14.	बाजपुर	मै० काशी विश्वनाथ स्टोन क्रेशर, ग्राम कल्याणपुर, किशनपुर तहसील बाजपुर	2017
15.	बाजपुर	मै० जोगीपुरा स्टोन क्रेशर, ग्राम जोगीपुरा, तहसील बाजपुर	2016
16.	बाजपुर	मै० ओमकार इन्फ्राटेक प्रा०लि०, ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर	2013
17.	बाजपुर	मै० बांके बिहारी बिल्डकॉन, ग्राम किशनपुर, तहसील बाजपुर	2016
18.	बाजपुर	मै० एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लि०, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर	2016
19.	बाजपुर	मै० दाबका स्टोन क्रेशर, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर	.2016
20.	बाजपुर	मै० शिवा स्टोन क्रेशर, ग्राम बैंतखेडी, तहसील बाजपुर	.2018
21.	बाजपुर	मै० लालकुंआ स्टोन क्रेशर, ग्राम किशनपुर, तहसील बाजपुर	2009
22.	बाजपुर	मै० मनन्त स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम केलाबन्दवारी तहसील बाजपुर	2015
23.	बाजपुर	मै० शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम रम्पुरा शाकर, तहसील बाजपुर	2016
24.	बाजपुर	मै० ढिल्लन मिनरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बन्दवारी, तहसील बाजपुर	2017
25.	बाजपुर	मै० गुरू कृपा माईन्स एण्ड क्रेशर प्रा०लि०, जगन्नाथपुर छोई, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	2017
26.	बाजपुर	मै० गुरू स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, जगन्नाथपुर, तहसील बाजपुर	.2013
27.	बाजपुर	मै०बी०बी०एस०बी० स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, तहसील बाजपुर	.2009
28.	बाजपुर	मै० अमृत स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, तहसील बाजपुर	.2013
29.	बाजपुर	मै० राजलक्ष्मी बिल्डकॉन लि०, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	.2009
30.	बाजपुर	मै० तराई मिनरल्स ओरस, ग्राम रम्पुरा शाकर, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर	.2016
31.	बाजपुर	मै० हरिहर स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम कनौरी, जगन्नाथपुर छोई मार्ग, तहसील बाजपुर	.2013
32.	बाजपुर	मै० कोसी मिनरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम लुधपुरा, तहसील बाजपुर	2013

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

33.	बाजपुर	मै० हरिहर स्टोन क्रेशर प्रा०लि० पार्ट–2, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	2016
34.	बाजपुर	मै० पालग्रीडस स्टोन क्रेशर, ग्राम लुक्षपुर, तहसील बाजपुर	2016
35.	बाजपुर	मै० आशा स्टोन क्रेशर, ग्राम व तहसील बाजपुर	2012
36.	बाजपुर	मै० लामेर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर	2013
37.	बाजपुर	मै० स्वास्तिक स्टोन क्रेशर, ग्राम रम्पुरा, शाकर, तहसील बाजपुर	2016
38.	बाजपुर	मै० नैनीताल स्टोन क्रेशर, ग्राम भीकमपुरी, तहसील बाजपुर	2013
39.	बाजपुर	मै० फतेह स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम बैंतखेडी, तहसील बाजपुर	2013
40.	बाजपुर	मै० बाबानन्द जी एण्ड एसोसिएट स्टोन क्रेशर, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	2009
41.	बाजपुर	मै० लाल कुंआ स्टोन क्रेशर, ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर	2006
42.	बाजपुर	मै० ओमकार इन्फ्राटेक प्रा०लि०, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	2016
43.	बाजपुर	मै० बाबा श्याम स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम भीकमपुरी, तहसील बाजपुर	2007
44.	बाजपुर	मै० साई बापू जी स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम भीकमपुरी बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर	2013
45.	बाजपुर	मै० देवभूमि बिल्डर्स एण्ड स्टोन क्रेशर प्रा०लि०, ग्राम मुकन्दपुर, तहसील बाजपुर	2013
46.	बाजपुर	मै० गोविन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम नूरपुर, तहसील बाजपुर	2016
47.	बाजपुर	मै० श्री गणपति स्टोन क्रेशर, ग्राम नूरपुर, तहसील बाजपुर	2015
48.	बाजपुर	मै० एकता स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2013
49.	बाजपुर	मै० जय स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2016
50.	किच्छा	मै० गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	2005
51.	किच्छा	मै० न्यू शुभम स्टोन क्रेशर, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	2006
52.	किच्छा	मै० न्यू तराई स्टोन क्रेशर, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	2006
53.	किच्छा	मै० गोला स्टोन इण्डस्ट्रीज, लि०, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	1999
54.	किच्छा	एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लि०, ग्राम अजीतपुर, तहसील किच्छा	2009
55.	किच्छा	मै० नैनीताल नैचुरल एण्ड एसोसिएट, ग्राम आनन्दपुर, तहसील किच्छा	2018
56.	सितारगंज	मै० भगवती स्टोन इण्डस्ट्रीज ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	2007
57.	सितारगंज	मै० लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम हल्दुआ, तहसील सितारगंज	2009
58.	सितारगंज	राधे इन्फ्रा सोल्यूशन प्रा०लि०, ग्राम कुंवरपुर, सितारगंज	2014
59.	सितारगंज	मै० सितारगंज स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम बरूवाबाग, तहसील सितारगंज	2019
60.	सितारगंज	मै० एल.एस.सी. इन्फ्राटैक लि०, ग्राम बरूआबाग, तहसील सितारगंज	2018
61.	सितारगंज	मै० कामाख्या स्टोन क्रेशर, एल.एल.पी. ग्राम बरूबाबाग, तहसील सितारगंज	2018
62.	सितारगंज	मै० मार्डन ग्रिट इण्डस्ट्रीज, एल.एल.पी., ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	2018
63.	सितारगंज	मै० जयश्री राम इन्फ्राटेक, एल.एल.पी., ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	2018
64.	सितारगंज	श्रीमती प्रिया अग्रवाल, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	2019
65.	सितारगंज	मै० बरेली स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री कुलदीप सिंह आदि, ग्राम सिसौना, तहसील सितारगंज	2019
66.	सितारगंज	सितारगंज स्टोन क्रेशर, ग्राम बमनपुरी, तहसील सितारगंज	2015
67.	सितारगंज	मै० रामा स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम रसोईयापुर, तहसील सितारगंज	2019

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

68.	काशीपुर	मैसर्स ओम स्टोन प्रोडक्टस पार्टनर, श्रीमती पारूल अग्रवाल एवं श्री स्पर्श अग्रवाल, नई लाईन रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम गांधीनगर, तहसील काशीपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.0236 है0 मध्ये 1.416 है0	2021
69.	बाजपुर	श्री गुरू स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।	2021
70.	बाजपुर	मै0 गुरूकृपा स्टोन क्रेशर, ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर	2022
71.	बाजपुर	मै0 गुरूनानक स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम जगतपुर, तहसील बाजपुर	2022
72.	काशीपुर	मै0 जगदम्बा स्टोन क्रेशर, ग्राम दभौरा एहतमाली, तहसील काशीपुर	2022
73.	सितारगंज	मै0 शालक क्रसिंग एण्ड माइनिंग प्रा0लि0, निदेशक श्री योगेश बंसल व श्री राजेश बंसल, नि0 पैरापुरा वार्ड नं0 10, ओल्ड बाईपास रोड, सितारगंज	2022
74.	बाजपुर	मै0 माँ भगवती इन्फ्राटेक एण्ड बिल्डकॉन, नि0 ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर	2022
75.	बाजपुर	मै0 बाबादीप सिंह स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2022
76.	बाजपुर	मै0 श्री हरी स्टोन क्रेशर, ग्राम मुकन्दपुर, तहसील बाजपुर	2022
77.	बाजपुर	मै0 भारत स्टोन क्रेशर, ग्राम महतावबन, तहसील बाजपुर	2022
78.	बाजपुर	मै0 गुरूअंगद देव स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर	2022
79.	बाजपुर	मै0 बेसलिफ्ट कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 (ट्रेड नेम माँ वैष्णो स्टोन क्रेशर), ग्राम मडैय्या गुलजारी, तहसील बाजपुर	2022
80.	बाजपुर	मै0 गोबरा स्टोन क्रेशर प्रो0 सरवनिछर सिंह कहलो, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर	2022
81.	बाजपुर	मै0 प्रेमगंगा इन्फ्राटेक प्रो0 रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री गंगा राम, नि0 रामजीवनपुर, तहसील बाजपुर	2022
82.	बाजपुर	मै0 अमर स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022
83.	बाजपुर	मै0 आनन्द स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022
84.	बाजपुर	मै0 पूर्णागिरी स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, ग्राम उमरूकला, तहसील खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर	2022
85.	बाजपुर	मै0 श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, पता सी0–32 अलाइयेन्स कालोनी, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022
86.	बाजपुर	मै0 एन0एस0एस0सी0 इन्फ्रटेक एल0एल0पी0, ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर	2022
87.	बाजपुर	मै0 गुलजारपुर स्टोन क्रेशर प्रो0 कलजिन्दर कौर पत्नी श्री लखविन्दर सिंह, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।	2022

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद उत्तरकाशी

क्र0 सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापनावर्ष
1	चिन्यालीसौंड	मैसर्स गणपति इण्टर प्राईजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम मौघहराली नामे तोक त0 चि0सौड़ जि0 उत्तरकाशी	2012
2	डुण्डा	राजाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम पटारा पट्टी भण्डारस्यू तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2018
3	डुण्डा	मैसर्स ऊमा स्टोन क्रेशर ग्राम हिटाणु मय भालसी, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2013
4	डुण्डा	गंगाडी स्टोन क्रेशर ग्राम मातली के कैलाथ नामे तोक, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2008
5	डुण्डा	बी0एल0 स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम खरवां पो0 साल्ड,तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2016
6	डुण्डा	श्री प्रवीन चन्द्र रमोला, ग्राम जुणगा, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी	2018
7	डुण्डा	मैसर्स फाईव जोन डेव–लपमेन्ट एण्ड स्टोन क्रेशर ग्राम ईड के पिनयाली नामे तोक, तहसील डुण्डा, उत्तरकाशी।	2014
8	डुण्डा	श्री अजवीर सिंह पवांर पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी ग्राम जुगुल्डी, पट्टी बरसाली, तहसील डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी	2019
9	बडकोट	मै0 अस्तित्व अनन्त राज इण्टरप्राईजेज एण्ड स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट जनपदउत्तरकाशी	2014
10	बडकोट	मै0 शिवम इण्डस्ट्रीज बडकोट (स्टोन क्रेशर) ग्रामपौन्टी, राजगढी तहसील बडकोट जि0 उत्तरकाशी	–
11	बडकोट	श्री जमदग्नी ऋषि महाराज कन्सट्रक्शन कम्पनी, ग्रामथान (रवाडा) पट्टीठकराल, तहसील बडकोट ,उत्तरकाशी।	2019
12	चिन्यालीसौंड	जय भैरव देवता स्टोन क्रेशर, ग्राम मल्ली, तहसील चिन्यालीसौंड़ उत्तरकाशी	2021
13	बड़कोट	श्री जगेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री धाम सिंह, ग्राम मटियाली नौगांव, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी के पक्ष मे ग्राम भौन्ती क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.705 है0 निजी नाप भूमि।	2023
14	मोरी	मैसर्स माँ रेणुका स्टोन क्रेशर, ग्राम पासा, तहसील मोरी, जनपद उत्तरकाशी	2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

जनपद देहरादून में स्वीकृत/संचालित स्क्रीनिंग प्लांट्स का विवरण।

1.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 हिमालयन स्क्रीनिंग प्रो0 हरभजन सिंह डोईवाल तहसील ऋषिकेश।	वर्ष 2015
2.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 गौरव स्क्रीनिंग प्लान्ट प्रो0 श्री अनिल भाटी पुत्र स्व0 श्री महाराज भाटी, निवासी 121 नेचरविला लालतप्पड़, माजरीग्रान्ट, देहरादून।	वर्ष 2018
3.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	गोयल एसोसियेट्स पार्टनर श्री दीपक गुप्ता, निवासी प्रेमनगर, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2017
4.	ग्राम बक्सरवाल तहसील डोईवाला।	मै0 सूर्या स्क्रीनिंग प्लान्ट बक्सरवाला भानियावाला, देहरादून	वर्ष 2018
5.	ग्राम संगतियावाला (कान्हरवाला) तहसील डोईवाला।	श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री होशियार सिंह नेगी, ग्राम संगतियावाला कान्हरवाला, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2018
6.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 ओम स्क्रीनिंग प्लान्ट पार्टनर श्री दीपक गुप्ता, कान्हारवाला, भानियावाला, डोईवाला।	वर्ष 2017
7.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	हिमालय स्क्रीनिंग प्लान्ट प्रो0 रामलाल कोठारी, निवासी डोईवाला, देहरादून	वर्ष 2018
8.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	मै0 सैण्ड एन स्टोन प्रो0 गुरनाम सिंह	वर्ष 2018
9.	ग्राम मारखमग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाला	मै0 अब्दुल हमीद विकास बिष्ट ग्राम मारखमग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाल जिला देहरादून।	वर्ष 2018
10.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	दून माईन्स एण्ड मिनरल डोईवाला	वर्ष 2018
11.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	श्रीराम एसोसियेट्स पार्टनर श्री गुरेन्द्र सिंह आदि, निवासी सी0–26 सैक्टर–1, डिफेन्स कालोनी, देहरादून।	वर्ष 2019
12.	ग्राम भंगलाना बडोवाला तहसील डोईवाला ।	मै0 शम्भू प्रसाद ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 शम्भू प्रसाद कण्डवाला, एच0एन0 613/2 डब्लू एन0 5 तहसील डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2019
13.	ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला।	श्री योगराज सैनी, निवासी ग्राम व पो0 173 भानियावाला, डोईवाला, देहरादून।	वर्ष 2019
14.	ग्राम रामपुरकलां तहसील विकासनगर	आशीर्वाद इण्टर प्राईजेज एवं स्क्रीनिंग प्लांट, रामपुर कलां तहसील विकासनगर, देहरादून	वर्ष 2016
15.	ग्राम खुशाहलपुर तहसील विकासनगर।	मै0 पदम श्री स्क्रीनिंग एवं ट्रेडिंग कम्पनी, 166, सुन्दरवाला रायपुर देहरादून	वर्ष 2016
16.	ग्राम डाकपत्थर तहसील विकासनगर	श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ढालीपुर विकासनगर	वर्ष 2018
17.	ग्राम जस्सोवाला तहसील विकासनगर।	मै0 पछुवादून स्क्रीनिंग प्लान्ट, जस्सोवाला विकासनगर, देहरादून	वर्ष 2015

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

18.	ग्राम अब्दुल्लापुर तहसील विकासनगर।	मै0 साईं स्क्रीनिंग प्लान्ट	वर्ष 2016
19.	ग्राम जस्सोवाला तहसील विकासनगर।	मै0 आयुषि ट्रेडर्स प्रो0 कर्मवीर सिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह, निवासी ग्राम मडलौडा, तहसील मडलौडा, जिला पानीपत, हरियाणा, हाल निवास 10 अनन्य विहार, सेवलाकला देहरादून।	वर्ष 2019
20.	ग्राम कैंचीवाला अटकफार्म तहसील विकासनगर।	मै0 लक्ष्मी स्क्रीनर्स पार्टनर श्री मुकुल अग्रवाल 68 बी राजपुर	वर्ष 2019
21.	ग्राम भैसवाड़, तहसील सदर, जिला देहरादून	मैसर्स वर्धमान इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री आकाश जैन के पक्ष मे ग्राम भैसवाड़, तहसील सदर, जिला देहरादून	वर्ष 2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित ~~स्टोन क्रेशर~~/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1	हरिद्वार	मै0 कृष्णा स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम बिशनपुर झरडा त0 व जिला हरिद्वार **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2018
2	हरिद्वार	मै0 चौधरी इन्टर प्राइजेज स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम भोगपुर जिला हरिद्वार **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2018
3	हरिद्वार	मै0 बाबा केदार स्क्रीनिंग प्लान्ट ग्राम समसपुर कटेवड त0 व जिला हरिद्वार **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2018
4	हरिद्वार	शुभम स्क्रीनिंग प्लांट, ग्राम गैन्डीखाता **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2015
5	हरिद्वार	मै0 ओम साई राम स्क्रीनिंग प्लांट, सहदेवपुर, हरदेवपुर **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2014
6	हरिद्वार	पंजाब स्क्रीनिंग प्लांट, ग्राम बिशनपुर झरडा **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2018
7	हरिद्वार	मै0 गजानन स्क्रीनिंग कम्पनी, समसपुर कटेबड़ **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2017
8	हरिद्वार	मै0 माँ शाकुम्भरी स्क्रीनिंग प्लांट ग्राम फेरूपुर रामखेड़ा, तहसील व जिला हरिद्वार **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2022
9	हरिद्वार	श्री केदारनाथ स्क्रीनिंग एण्ड कन्सट्रक्सन, ग्राम समसपुर कटेवड़, तहसील व जिला हरिद्वार के पक्ष मे ग्राम समसपुर कटेवड क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 268 कुल रकबा 1.1707 है0 भूमि अन्तर्गत। **(स्क्रीनिंग प्लांट)**	2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद नैनीताल अन्तर्गत स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता	स्थापना वर्ष
1.	लालकुआं	माँ मिनिरल्स एण्ड रिसोर्सेज पार्टनर ग्राम हल्दूचौड़, हल्द्वानी (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2019
2.	लालकुआं	मै0 आकृति नेचुरल प्रोडक्ट बमेठाबंगर, लालकुआँ (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2006
3.	रामनगर	मै0 ए0बी0 कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2018
4.	रामनगर	मै0 पृथ्वी स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम पापड़ी रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2019
5.	हल्द्वानी	मै0 गोरा पड़ाव स्टोन कम्पनी, हल्द्वानी (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	1991
6.	रामनगर	मै0 रामनगर नेचुरल स्टोन, प्रो0 श्री चरनजीत सिंह प्लांट, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021
7.	रामनगर	मै0 श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, होटल कार्बेट प्लाजा, गंगापुर, पहाड़ी पिरूमदारा (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021
8.	हल्द्वानी	श्री भूपेन्द्र सिंह प्रो0 मै0 भाई जी एण्ड कम्पनी, ग्राम हरिपुर फुटकुआँ, पो0 देवलचौड़, तहसील हल्द्वानी। (स्क्रीनिंग प्लान्ट)	2021
9.	रामनगर	मै0 केसरी नन्दन मिनरल्स ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर (स्क्रीनिंग प्लांट)	2022
10.	रामनगर	मै0 श्री गणेश मिनरल्स ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल (स्क्रीनिंग प्लांट)	2022
11.	नैनीताल	मै0 काव्यांजलि ट्रेडर्स, ग्राम अमियाँ तोक नयागांव, पो0 अमृतपुर, तहसील व जिला नैनीताल (स्क्रीनिंग प्लांट)	2022

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद उधमसिंहनगर अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का विवरण।

क्र0सं0	तहसील	प्लांट का नाम व पता
1.	काशीपुर	मै० विर्क स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम पच्चावाला (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
2.	काशीपुर	मै० माधव मिनरल्स, ग्राम दभौरा, मुस्तहकम, तहसील काशीपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
3.	बाजपुर	मै० सिंह मिनरल्स पार्ट–1, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
4.	बाजपुर	मै० सिंह मिनरल्स पार्ट–2, ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
5.	बाजपुर	मै० बालाजी कान्ट्रेक्टर्स, ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
6.	बाजपुर	मै० राघव नैचुरल एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम जोगीपुरा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
7.	बाजपुर	मै० बाबा स्टोन प्रोडक्ट, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
8.	सितारगंज	मै० रामा स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम रसोईयापुर, तहसील सितारगंज
9.	सितारगंज	मै० सरिता रानी एण्ड कम्पनी नेचुरल एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम उकरौली, तहसील सितारगंज (स्क्रीनिंग प्लान्ट)
10.	बाजपुर	मै0 प्रिंस इण्टरप्राईजेज स्क्रीनिंग प्लांट, प्रो0 श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, ग्राम बैतखेड़ी, तहसील बाजपुर स्क्रीनिंग प्लांट
11.	बाजपुर	मै0 मार्डन स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम गुलजारपुर, तहसील बाजपुर (स्क्रीनिंग प्लांट)
12.	बाजपुर	मै0 गुरुनानक नेचुरल मिनरल्स, ग्राम पटौटी, पो0ओ0 ढकिया नं0–1, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर (स्क्रीनिंग प्लांट)
13.	किच्छा	मैसर्स श्री सिद्धि विनायक नेचुरल, ग्राम भंगा, तहसील किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर (स्क्रीनिंग प्लांट)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून का सूचना मैनुअल

ऐसे बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी:–

(A Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two person constituted as its part for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or minutes of such meetings are accessible for public)

ऐसे बोर्डें, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विषयक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से सम्बन्धित कार्य हेतु "राज्य खनिज विकास परिषद" गठित है।

राज्य खनिज विकास परिषद् में नियुक्त मा0 अध्यक्ष का कार्यकाल

क्र0सं0	मा0 अध्यक्ष का नाम	नियुक्ति का दिनांक	पद से अवमुक्त का दिनांक
1	श्री कुंवर प्रणव सिंह	14 मई, 2014	04 अप्रैल, 2016
2	श्री राजकुमार पुरोहित	09 मार्च, 2019	02 अप्रैल, 2021

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पदनाम एवं मोबाईल नम्बर से सम्बन्धित निर्देशिका

क्र0स0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
1.	श्री राजपाल लेघा	निदेशक	9927001952
2.	श्री अनिल कुमार	अपर निदेशक	9412918596
3.	श्री गंगाधर प्रसाद	संयुक्त निदेशक	8938954950
4.	श्री दिनेश कुमार	संयुक्त निदेशक	9412047204
5.	श्री दिनेश कुमार	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	9411167356
6.	डा0 अमित गौरव	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	9411536786
7.	श्री लेखराज	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	9719111432
8.	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	9411131795
9.	श्री हेतराम सिंह	रसायनज्ञ	8192802330
10.	श्री शीशपाल	सहायक रसायनज्ञ	9411100500
11.	श्री मदन किशोर	भू–रसायनज्ञ	9756686537
12.	श्री एच0डी0 चमोली	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	9997806797
13.	श्री रवि सिंह नेगी	सहायक भूवैज्ञानिक	9639452375
14.	श्री प्रदीप	सहायक भूवैज्ञानिक	7579425342
15.	डा0 कृष्ण सिंह सजवान	सहायक भूवैज्ञानिक	9410791046
16.	श्री सुनील दत्त	सहायक भूवैज्ञानिक	9917280490
17.	डा0 कामिनी बिष्ट	सहायक भूवैज्ञानिक	9411522316
18.	डा0 हरीश	सहायक भूवैज्ञानिक	8449448947
19.	कु0 नाजिया हसन	खान अधिकारी	7055992227
20.	कु0 चित्रा जोशी	खान अधिकारी	8755040076
21.	श्री ताजबर सिंह नेगी	खान अधिकारी	8077605038
22.	श्री गुणानन्द	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8192802348
23.	श्री रविन्द्र बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9760210154
24.	श्री संजीत कुमार वर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	9456556114
25.	श्री दुर्गा प्रसाद	प्रशासनिक अधिकारी	9411136183
26.	श्री ऐश्वर्य शाह	वरिष्ठ सर्वेक्षक	9410772918
27.	श्री बाल कृष्ण बहुगुणा	वरिष्ठ सर्वेक्षक	9412907531
28.	श्री विनोद लाल	सर्वेक्षक	9410700198
29.	श्री विजय चन्द्र जोशी	सर्वेक्षक	8979468718
30.	कु0 शबीना नाज़	सर्वेक्षक	9639676166
31.	श्री जसपाल सिंह	सर्वेक्षक	8279563916
32.	श्री विवेक कुमार	सर्वेक्षक	8477960248
33.	श्रीमती रश्मि तिवारी	प्रधान सहायक	9557739545

34.	श्री श्रीकृष्ण आर्या	मानचित्रकार	9639400026
35.	श्री गौरव कुमार खण्डुड़ी	मानचित्रकार	9758021407
36.	श्री अनिल मुयाल	खान निरीक्षक	7895172527
37.	श्री राहुल नेगी	खान निरीक्षक	9634110388
38.	श्रीमती सुष्मिता पन्त	खान निरीक्षक	8126963499
39.	श्री राहुल रावत	खान निरीक्षक	9897010872
40.	कु0 जिज्ञासा बिष्ट	खान निरीक्षक	8938896437
41.	श्री नवीन	खान निरीक्षक	8650210211
42.	मो0 काजिम रज़ा	खान निरीक्षक	9761575305
43.	श्री अंकित चन्द	खान निरीक्षक	7060352534
44.	श्री मनीष कुमार	खान निरीक्षक	9927215722
45.	श्री मयंक आर्या	खान निरीक्षक	8979444184
46.	श्रीमती रश्मि नैथानी	खान निरीक्षक	9897885050
47.	श्री अनिल चन्द आर्या	खान निरीक्षक	9411164781
48.	श्री अनिकेत थपलियाल	प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान)	7895068817
49.	कु0 रूचि गोदियाल	प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान)	7017659685
50.	श्री प्रशान्त कौशिक	प्राविधिक सहायक (रसायन)	9084223650
51.	कु0 बरखा पुनेठा	वैयक्ति सहायक	8937057848
52.	श्री राजेन्द्र सिंह	वैयक्ति सहायक	8192832582
53.	श्री अजय कुमार	पुस्तकालयाध्यक्ष	8755599089
54.	श्री वीरेन्द्र सिंह	प्रधान सहायक	9411136074
55.	श्रीमती गीता जोशी	सहायक भण्डारी	9412951077
56.	श्री हिमान्शु रावत	कनिष्ठ सहायक	8077353705
57.	श्री तरूण टम्टा	कनिष्ठ सहायक	9639669846
58.	श्री खीमानन्द	कनिष्ठ सहायक	9456538538
59.	श्री भगवान सिंह सिपाल	कनिष्ठ सहायक	8126734114
60.	श्री उदयवीर सिंह	कनिष्ठ सहायक	7895515211
61.	श्री संतोष बोरा	कनिष्ठ सहायक	8755093891
62.	श्री अर्जुन सिंह	चालक	9411768551
63.	श्री खजान सिंह	चालक	9760959545
64.	श्री आसिफ अली	चालक	8218099653
65.	श्री कुमेर सिंह सलाल	खनिज पर्यवेक्षक	9719734427
66.	श्री पियूष कुमार	खनिज पर्यवेक्षक	9027669935
67.	श्री देव सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9634623131
68.	श्री राजेश कुमार यादव	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9012809949
69.	श्री शेखर चन्द्र जोशी	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	7088463865
70.	श्रीमती तारा पाठक	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9410567627
71.	श्री होशियार सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9756445278
72.	श्री जय प्रकाश	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9760007803
73.	श्रीमती गीता चौहान	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	7060873706
74.	कु0 शाक्षी सूद	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9760819134

75.	श्री नीरज रावत	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9458935342
76.	श्री माधो सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	7409144969
77.	श्री मुकेश चौहान	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9953872070
78.	श्रीमती प्रतिमा	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	6396087250
79.	श्री विजय सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9997535745
80.	श्री पंकज चन्द	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9927250695
81.	श्री शिवा नेगी	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	8979819439
82.	श्री नितेश कृष्ण	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	9927332966
83.	श्री योगेश सिंह रावत	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	6396566817
84.	श्री विक्रम सिंह रौतेला	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	7500349757
85.	श्री प्रमोद कुमार	ड्रिल हैल्पर	9457154639
86.	श्री देवकी नन्दन	चैनमैन	9758108805
87.	श्री पूरन सिंह	चैनमैन	9639777994
88.	श्री कमल सिंह	चैनमैन	9917106127
89.	श्री महेन्द्र सिंह	फिल्ड परिचर	9917594382
90.	श्री प्रताप सिंह	फिल्ड परिचर	9568295226
91.	श्री देवेन्द्र सिंह	फिल्ड परिचर	8057504392
92.	श्री जयपाल सिंह भण्डारी	प्रयोगशाला परिचर	8126912019
93.	श्री महाशंख चक्रधारी	अनुसेवक	9760857551
94.	श्रीमती रानी देवी शर्मा	अनुसेवक	9897848611
95.	श्री आशिष कुमार गुप्ता	अनुसेवक	9720031783
96.	श्री भरत सिंह	अनुसेवक	9411557513
97.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	9690404978
98.	श्री रविन्द्र सिंह	अनुसेवक	7351684041
99.	श्री हर्षपाल सिंह बिष्ट	अनुसेवक	9719926128
100.	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला	अनुसेवक	8057428039
101.	श्री किर्ति देव बहुगुणा	चौकीदार	9634269478
102.	श्री राजेन्द्र कुमार	चौकीदार	8755544386

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
''खनिज भवन'' भोपालपानी (बडासी), थानों रोड, देहरादून का सूचना का मैनुअल

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक के सम्बन्ध में विनियमों यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सामान्यतः सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे कार्मिक के खाते में किया जाता है। वर्तमान में आई. एफ.एम.एस. सोफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिसकी वेबासाईट: https://cts.uk.gov.in इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

प्रारूप-01

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, मुख्यालय देहरादून में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	लेवल एवं वेतनमान
1.	श्री राजपाल लेघा	निदेशक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	144200-218200 (लेवल-15)
2.	श्री अनिल कुमार	अपर निदेशक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	123100-215900 (लेवल-13)
3.	श्री दिनेश कुमार	संयुक्त निदेशक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	78800-209200 (लेवल-12)
4.	श्री हरीश चन्द्र आर्या	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	67700-208700 (लेवल-11)
5.	डा० अमित गौरव	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून के साथ-साथ जनपद देहरादून के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्य।	67700-208700 (लेवल-11)
6.	श्री डेलराम सिंह	रसायनज्ञ	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	67700-208700 (लेवल-11)
7.	श्री शीशपाल	सहायक रसायनज्ञ	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	56100-177500 (लेवल-10)
8.	श्री मदन किशोर	भू-रसायनज्ञ	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	56100-177500 (लेवल-10)
9.	श्री हरिदत्त बमोली	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	56100-177500 (लेवल-10)
10.	श्री गुणानन्द खण्डूड़ी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	47600-151100 (लेवल-08)
11.	श्री रविन्द्र बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	47600-151100 (लेवल-08)
12.	श्री खजान सिंह	चालक/वाहन लिपिक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	44900-142400 (लेवल-07)
13.	श्री अर्जुन सिंह	चालक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	44900-142400(लेवल-07)
14.	श्री आरिफ अली	चालक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	44900-142400(लेवल-07)
15.	श्री ऐश्वर्य शाह	वरिष्ठ सर्वेक्षक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
16.	श्री प्रशान्त कौशिक	प्राविधिक सहायक रसायन	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
17.	श्री अजय कुमार	पुस्तकालयाध्यक्ष	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
18.	श्री अनिकेत थपलियाल	प्राविधिक सहायक भूविज्ञान	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
19.	श्री गौरव खण्डूड़ी	मानचित्रकार	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
20.	कु० जिज्ञासा बिष्ट	खान निरीक्षक (निलम्बित)	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
21.	श्री विरेन्द्र सिंह	प्रधान सहायक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
22.	कु० बरखा पुण्डीर	वैयक्तिक सहायक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)
23.	श्री राजेन्द्र सिंह	वैयक्तिक सहायक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)
24.	श्री महावीर चक्रधारी	चपरासी	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)

भूतत्व [illegible] निदेशालय
[illegible]
([illegible])

25.	कु0 साक्षी सूद	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	25500-81100(लेवल-04)
26.	श्रीमती रानी देवी शर्मा	अनुसेवक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	25500-81100 (लेवल-04)
27.	श्री हिमांशु रावत	कनिष्ट सहायक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	21700-69100 (लेवल-03)
28.	श्री तरुण टम्टा	कनिष्ट सहायक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	21700-69100 (लेवल-03)
29.	श्री मुकेश चौहान	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	21700-69100 (लेवल-03)
30.	श्री शिव नेगी	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	21700-69100 (लेवल-03)
31.	श्री नितेश कृष्ण	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	21700-69100 (लेवल-03)
32.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	19900-63200 (लेवल-02)
33.	श्री हर्षपाल सिंह बिष्ट	अनुसेवक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	19900-63200 (लेवल-02)
34.	श्री सौरविन्द्र बहुगुणा	चौकीदार	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	19900-63200 (लेवल-02)
35.	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला	अनुसेवक	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।	18000-56900 (लेवल-01)

01- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री नवीन	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
02	श्री दुर्गा प्रसाद	प्रशासनिक अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	44900-142400(लेवल-07)
03	श्रीमती रश्मि	प्रधान सहायक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	35400-112400 (लेवल-06)
04	कु0 शर्बीना नाज	सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)
05	श्री पियूष कुमार	खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)
06	श्री कुंवर सिंह रावत	खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	29200-92300(लेवल-05)
07	श्रीमती गीता चौहान	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	25500-81100(लेवल-04)
08	श्री आशीष कुमार गुप्ता	अनुसेवक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	25500-81100(लेवल-04)

02- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री राहुल नेगी	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	35400-112400(लेवल-06)
02	कु0 रूचि गोदियाल	प्राविधिक सहायक भूविज्ञान	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	35400-112400 (लेवल-06)
03	सुश्री रश्मि नैथानी	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	35400-112400 (लेवल-06)
04	श्री नीरज कुमार	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	21700-69100(लेवल-03)
05	श्री धामपाल सिंह	प्रयोगशाला परिचर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	18000-56900 (लेवल-01)

03- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री दिनेश कुमार	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	67700-208700(लेवल-11)
02	श्री रवि सिंह नेगी	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	56100-177500(लेवल-10)
03	श्री जयपाल सिंह	सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	29200-92300(लेवल-05)
04	श्री होशियार सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	25500-81100(लेवल-04)
05	श्री रविन्द्र सिंह	अनुसेवक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	19900-63200(लेवल-02)

04-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री अंकित चन्द	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।	35400–112400 (लेवल–06)
02	श्री बालकृष्ण बहुगुणा	वरिष्ठ सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यों के साथ–साथ जनपद रूद्रप्रयाग के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार।	35400–112400 (लेवल–06)
03	श्री राजेश कुमार यादव	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।	29200–92300(लेवल–05)

05-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।	67700–208700(लेवल–11)
02	डा0 कृष्ण सिंह सजवान	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों के साथ–साथ जनपद चमोली के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार।	56100–177500 (लेवल–10)
03	श्री योगेश सिंह रावत	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।	21700–69100(लेवल–03)
04	श्री कमल सिंह	चैनमैन	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।	29200–92300(लेवल–05)

06-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	मो0 काशिम रजा	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	35400–112400 (लेवल–06)
02	श्रीमती सुश्मिता पंत	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	35400–112400 (लेवल–06)
03	श्री विवेक कुमार	सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	29200–92300(लेवल–05)
04	श्री मार्वा सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	21700–69100(लेवल–03)
05	श्रीमती प्रतिमा	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	21700–69100(लेवल–03)

07-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री प्रदीप	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी।	56100–177500(लेवल–10)
02	श्री विजय सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी।	21700–69100(लेवल–03)

08- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री तावर सिंह नेगी	खान अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	56100–177500 (लेवल–10)
02	श्री अनिल गुसाई	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	35400–112400 (लेवल–06)
03	श्री संजीत वर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	44900–142400(लेवल–07)
04	श्री विनोद लाल	सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, नैनीताल।	35400–112400 (लेवल–06)
05	श्री राजेन्द्र कुमार	चौकीदार	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	25500–81100(लेवल–04)
06	श्री महेन्द्र सिंह	फील्ड परिचर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	19900–63200(लेवल–02)
07	श्री प्रताप सिंह	फील्ड परिचर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	19900–63200(लेवल–02)
08	श्री देवेन्द्र सिंह	फील्ड परिचर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।	18000–56900 (लेवल–01)

09-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	कु0 नाजिमा हसन	खान अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	56100–177500 (लेवल–10)
02	श्री सुनील दत्त	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	56100–177500 (लेवल–10)
03	श्री अनिल चन्द्र आर्या	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	35400–112400 (लेवल–06)
04	श्री विजय चन्द्र जोशी	सर्वेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यों के साथ–साथ जनपद अल्मोड़ा के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार।	29200–92300(लेवल–05)

05	श्री उदयवीर सिंह	कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	21700-69100 (लेवल-03)
06	श्री शेखर चन्द जोशी	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	25500-81100(लेवल-04)

10- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री मनीष कुमार	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।	35400-112400 (लेवल-06)
02	श्रीमती गीता जोशी	सहायक भण्डारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।	25500-81100(लेवल-04)
03	श्री जयप्रकाश	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।	25500-81100(लेवल-04)
04	श्रीमती संतोष बोरा	कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।	21700-69100(लेवल-03)
05	श्री पंकज चन्द	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊधमसिंहनगर।	21700-69100(लेवल-03)

11- जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	डा0 हरीश	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों के साथ-साथ जनपद ऊधमसिंहनगर के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार।	56100-177500(लेवल-10)
02	कु0 चित्रा जोशी	खान अधिकारी	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत।	56100-177500(लेवल-10)
03	श्री भगवान सिंह सिपाल	कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत।	21700-69100(लेवल-03)

12-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री लेखराज	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़ के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों के साथ-साथ जनपद नैनीताल के भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार।	67700-208700(लेवल-11)
02	श्री मयंक आर्या	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।	35400-112400 (लेवल-06)
03	श्रीमती तारा पाठक	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।	25500-81100 (लेवल-04)
04	श्री देव सिंह	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।	29200-92300(लेवल-05)
05	श्री भरत सिंह	अनुसेवक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।	19900-63200 (लेवल-02)

13-जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	डा0 कामिनी बिष्ट	सहायक भूवैज्ञानिक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	56100-177500 (लेवल-10)
02	श्री राहुल चावला	खान निरीक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	35400-112400 (लेवल-06)
03	श्री श्रीकृष्ण आर्या	मानचित्रकार	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	35400-112400 (लेवल-06)
04	श्री विक्रम सिंह रौतेला	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	21700-69100 (लेवल-03)
05	श्री खीमानन्द	कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	21700-69100 (लेवल-03)
06	श्री प्रमोद कुमार	ड्रिल हैल्पर	जिला कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अल्मोड़ा	21700-69100(लेवल-03)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मूल तैनाती स्थान	वेतनमान एवं लेवल
01	श्री जी0डी0 प्रसाद	संयुक्त निदेशक	जनपद पौड़ी गढ़वाल।	78800-209200 (लेवल-12)

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून

अधिष्ठान के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं समर्पित धनराशि का योजनावार विवरण–
अनुदान संख्या–23,

(धनराशि रू0 हजार में)

क्रम सं0	मुख्य लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	31 मार्च, 2025 तक व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित धनराशि
1.	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान	268198	204518	179355	25163
2	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001–निदेशन तथा प्रकाशन, 04 राज्य खनिज विकास परिषद	2000	0	0	0
3	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 102–खनिज खोज, 03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	1500	1500	979	521
4	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 102 खनिज खोज, 04 खनन सर्विलांश	255750	255750	254623	1127
	योग	**527448**	**461768**	**434957**	**26811**

आहरण वितरण अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून

अधिष्ठान के मुख्य लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान–राजस्व पक्ष, अनुदान सं0–23, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं समर्पित धनराशि का व्यय विवरण–

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत/अवमुक्त बजट	एक मानक मद से दूसरे में पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग के बाद मानक मदवार वास्तविक स्वीकृति	31 मार्च, 2025 तक व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित धनराशि
1	01–वेतन	70000	70000	0	70000	58157	11843
2	02– मजदूरी	750	750	**300**	450	334	116
3	03–महंगाई भत्ता	39200	39200	0	39200	30282	8918
4	04–यात्रा व्यय	500	500	0	500	118	382
5	06–अन्य भत्ते	7700	7700	0	7700	5390	2310
6	07–मानदेय	100	100	0	100	6	94
7	08–पारिश्रमिक	15028	15028	0	15028	15020	8
8	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1	0	0	0	0	0
9	10–प्रशिक्षण व्यय	200	200	0	200	68	132
10	11–अनुमन्यता संबंधी व्यय	300	300	**300**	0	0	0
11	20–लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	1500	1500	0	1500	1493	7
12	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500	0	500	410	90
13	22–कार्यालय व्यय	1500	1500	**200**	1300	1094	206
14	23– किराया उप शुल्क व कर स्वामित्व	1400	1400	**500**	900	821	79
15	24– विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन एवं प्रकाशन पर व्यय	3000	3000	0	**4000**	3997	3
16	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1500	1500	0	1500	1384	116
17	26– कम्प्यूटर हार्डवेयर/सोफ्टवेयर व अनुरक्षण	1200	1200	0	1200	1133	67
18	27– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000	10000	0	**10950**	10916	34
19	28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	3000	3000	0	3000	2881	119
20	29– गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	8019	8019	0	8019	8017	2
21	30–आतिथ्य व्यय	100	100	0	100	90	10
22	40–मशीन उपकरण, सज्जा और संयत्र	1000	1000	**500**	500	215	285
23	42–अन्य विभागीय व्यय	500	500	**50**	450	436	14
24	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	200	200	**100**	100	62	38
25	51–अनुरक्षण	1000	1000	**0**	1000	710	290
26	67–वापसी	100000	36321	0	36321	36321	0
योग :		**268198**	**204518**	**1950**	**204518**	**179355**	**25163**

आहरण वितरण अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून

मुख्य लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001– निदेशन तथा प्रकाशन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर) 04 राज्य खनिज विकास परिषद, राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं समर्पित धनराशि का व्यय विवरण–

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	31 मार्च– 2025 तक व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित धनराशि
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–
1	56–सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2000	0	0	0
	योग	2000	0	0	0

आहरण वितरण अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून

मुख्य लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 102– खनिज खोज, 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना–00 राजस्व पक्ष, अनुदान सं0 23, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं समर्पित धनराशि का व्यय विवरण–

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत बजट	31 मार्च, 2025 तक व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित धनराशि
1.	02– मजदूरी	50	50	0	50
2	04–यात्रा व्यय	50	50	0	50
3	24– विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	100	100	100	0
4	27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	1000	879	121
5	29–गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	50	50	0	50
6	40–मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र	250	250	0	250
	योग–	**1500**	**1500**	**979**	**521**

आहरण वितरण अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून

मुख्य लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 102 खनिज खोज, 04–खनन सर्विलांश, राजस्व पक्ष, अनुदान संख्या–23, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं समर्पित धनराशि का व्यय विवरण–

(धनराशि रू0 हजार में)

क्रम सं0	मानक मद	कुल बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	31 मार्च, 2025 तक व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समर्पित धनराशि
1.	02– मजदूरी	50	50	0	50
2	04–यात्रा व्यय	50	50	0	50
3	20–लेखन सामग्री एवं छपाई	50	50	0	50
4	27– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5000	5000	4623	377
5	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	100	100	0	100
6	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	250000	250000	250000	0
7	42–अन्य विभागीय व्यय	500	500	0	500
योग–		**255750**	**255750**	**254623**	**1127**

आहरण वितरण अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, ''खनिज भवन'' भोपालपानी (बडासी), थानों रोड, देहरादून का सूचना का मैनुअल

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं का विवरण, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो, तो उसका भी विवरण।

(The Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

आम नागरिकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा विभाग से सम्बन्धित भूगर्भीय/खनन/रसायन/मानचित्रण/सर्वेक्षण/वेधन से सम्बन्धित यदि कोई जानकारी चाहता हो, तो उन्हें जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके लिये विभाग के अन्तर्गत पुस्तकालय है, जिसकी अवस्थापना प्रथम तल में कक्ष संख्या 107 में की गयी है, जिसमें सम्बन्धित विधाओं के साहित्य उपलब्ध है।

मैनुअल–12

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून का सूचना का मैनुअल

(किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे)

(Details in respect of the information, abailable to or held by it, reduced in an electronic form)

भारत सरकार के संगठन राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र (एन.आई.सी.) उत्तराखण्ड इकाई, देहरादून द्वारा राज्य सरकार को सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in डिजाइन की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण सूचनायें भिन्न–भिन्न पोर्टलों में उपलब्ध है। वर्तमान समय में, जो भी कार्य विभाग द्वारा किये जाते है सम्बन्धित सूचनायें विभागीय पोर्टल पर ससमय अपडेट की जाती है। ई–निविदा, सह–ई–नीलामी का समस्त विवरण uktenders.gov.in तथा dgmappl.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(ई–मेलः dir.ukdgm@gmail.com)

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना प्रोद्योगिकी विकास ऐजेन्सी (ITDA),
सहस्त्रधारा रोड, आई.टी. पार्क, देहरादून।

संख्याः 48 /आई0टी0/ 17 /भू0खनि0नि0/2025–26 दिनांक 03 अप्रैल, 2025

विषयः– विभागीय वेबसाईट को "S3WAAS" Platform पर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वैज्ञानिक–D, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड राज्य केन्द्र के ई–मेलीय पत्र दिनांक 01.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि "we are pleased to inform you that the development of your department's website (Deirecotrate of Geology and Mining) has been completed. Before proceeding with the website launch, we require confirmation from your department that you have thoroughly reviewed and tested the website. Kindly go through the checklist and confirm by signing the attached UAT document .

For Domain Registration, kindly send signed and stamped copy of attached Fourth Level Domain Registration Form with covering letter to ITDA with a copy to NIC." Upon receiving the signed approval and domain registration by ITDA, the website will be made live, and exisiting website https://dgm.ik.gov.in will be closed.

उक्त के कम में अवगत कराना है कि आई0टी0 सेल द्वारा S3WAAS platform पर site create कर Authentication letter Submit किया गया है, जो एन0आई0सी0 S3WAAS platform द्वारा verified किया जा चुका है। तदोपरान्त Site Migration Process भी cleared हो चुका है। विभागीय वेबसाईट dgm.uk.gov.in को Live करने हेतु required DNS form (Fourth level domain registration application form) तथा User Acceptance Testing (UAT) Form भरकर आपको उक्त पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विभागीय वेबसाईट को नये S3WAAS प्लेटफोर्म पर Live करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

03/4/25

(राजपाल लेघा)
निदेशक।

संख्याः /आई0टी0/17/भू0खनि0नि0/2025–26, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, को पत्र संख्या 691/VII-A-1/2025–8(12)/2020 दिनांक 28 मार्च, 2025 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री मनीष कुमार वालिया, वरिष्ठ निदेशक, आई.टी. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्रीमती चंचल गोयल, वैज्ञानिक–डी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड राज्य केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(राजपाल लेघा)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून

संख्या 17 / 38/आई0टी0सेल/भू0खनि0निदे0/2023-24 दिनांक 02 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

खनिजों से प्राप्त होने वाला राजस्व से सम्बन्धित चालान/रॉयल्टी भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्षक-0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-00 102-खनिज रियायत शुल्क और स्वत्व शुल्क 01-00 में जमा किया जाता है। राज्य के अन्तर्गत (जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर को छोडकर) पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों द्वारा खनन से सम्बन्धित समस्त धनराशि को विभागीय लेखाशीर्षक 0853-00-102-01-00 में ऑफलाईन तथा ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से दोनों रूप में जमा कराने का वर्तमान में प्रावधान है। उक्त के सम्बन्ध में कतिपय प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा ऑफलाईन माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक 0853-00-102-01-00 में धनराशि जमा करने के उपरान्त उक्त जमा चालान की प्रति को edit करने के उपरान्त चालान को पुनः अन्य प्रकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे चालान का दुरूपयोग कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुचाई जा रही है, के दृष्टिगत दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से ऑफ लाईन चालान जोकि आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से Generate किये जाने के उपरान्त ई-रवन्ना पोर्टल पर अपलोड किये जाते थे को पूर्णतया बन्द किया जायेगा। उक्त तिथि से ऑफ लाईन चालान/रॉयल्टी को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा, और उक्त तिथि से चालान/रॉयल्टी ई-रवन्ना पोर्टल में पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से चालान/रॉयल्टी प्राप्त होगी।

अतः उपरोक्तानुसार जनपदों में (जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर को छोडकर) खनन से सम्बन्धित जो भी चालान/रॉयल्टी अथवा धनराशि जमा करायी जाती है, को दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से ई-रवन्ना पोर्टल में पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से चालान/रॉयल्टी प्राप्त होगी।

02/04/24
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या 17 /38/ आई0टी0सेल/भू0खनि0निदे0/2023-24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौडी/टिहरी गढवाल/चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/अल्मोडा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ।
3. जिला खान अधिकारी, पौडी/टिहरी गढवाल/चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/अल्मोडा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने जनपद के समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें।

02/04/24
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 417 /38/आई0टी0सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25, दिनांक 04 मई, 2024

कार्यालय आदेश

ई-रवन्ना की जांच के उपरान्त संज्ञान में आया है कि पर्वतीय जनपदों से मैदानी जनपदों में उपखनिज क्रय-विक्रय के उपरान्त सम्बन्धित पट्टाधारकों/स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट/ स्टॉकिट्स द्वारा ई-रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिस कारण राजस्व की हानि हो रही है। राजस्व हित एवं ई-रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग किये जाने के दृष्टिगत एवं अवैध खनन/परिवहन के रोकथाम हेतु मैदानी जनपद हरिद्वार एवं जनपद देहरादून के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक उक्त दोनो जनपदों के ही स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट/स्टॉकिट्स को रजिस्टर्ड उपखनिज विक्रय कर पायेंगे। इसी प्रकार जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के पट्टाधारक उक्त दोनो जनपदों के ही स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट/ स्टॉकिट्स को रजिस्टर्ड उपखनिज विक्रय कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल के पट्टाधारकों द्वारा किसी अन्य पर्वतीय जनपदों में उपखनिज का विक्रय किया जाता है तो वह Unregisterd में ही उपखनिज विक्रय कर पायेगा तथा पर्वतीय जनपदों से उक्त मैदानी जनपदों में उपखनिज (सोपस्टोन, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि को छोड़कर) विक्रय नही किया जायेगा, जिस हेतु NIC द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल पर Module तैयार किया जा चुका है, जोकि दिनांक 06.05.2024 को जनपदवार उपखनिज क्रय-विक्रय हेतु ई-रवन्ना पोर्टल पर Implement किया जायेगा।

04/05/2024
(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

संख्या /38/आई0टी0 सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
3. समस्त खान अधिकारी/प्र0जिला खान अधिकारी,भूतत्व एंव खनिकर्म, विभाग, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रचार-प्रसार करते हुये सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 418 / 38 / आई0टी0सेल / भू0खनि0निदे0 / 2024–25, दिनांक 04 मई, 2024

कार्यालय आदेश

पूर्व में ई–रवन्ना पोर्टल पर राज्य के बाहर से उपखनिज क्रय किये जाने हेतु ISTP लागू किया गया था। परन्तु संज्ञान में आया है कि अन्य राज्यों द्वारा किसी अन्य राज्यों में उपखनिज क्रय–विक्रय हेतु उत्तराखण्ड राज्य की सीमा से ही आवागमन किया जा रहा है, जिस हेतु उनके द्वारा ISTP का भुगतान नही किया जाता है, जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है।

उक्त के दृष्टिगत अन्य राज्यों के उपखनिज के परिवहन में उपयोग किये जा रहे वाहनों के द्वारा यदि उत्तराखण्ड की सीमा को आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है तो उन्हें भी ISTP का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना होगा, अन्यथा की दृष्टि में ऐसे वाहन जिनके द्वारा यदि ISTP का भुगतान नही किया जाता है तो ऐसे सभी वाहन अवैध परिवहन की श्रेणी में आवेगें। जिस पर नियमानुसार चालान की कार्यावाही की जायेगी। उक्त व्यवस्था को ई–रवन्ना पोर्टल पर दिनांक 06.05.2024 को लागू कर दिया जायेगा।

04/05/2024
(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

संख्या 418 / 38 / आई0टी0 सेल / भू0खनि0निदे0 / 2024–25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
3. समस्त खान अधिकारी / प्र0जिला खान अधिकारी,भूतत्व एंव खनिकर्म, विभाग, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रचार–प्रसार करते हुये सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 419 /38/आई0टी0सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25, दिनांक 04 मई, 2024

कार्यालय आदेश

संज्ञान में आया है कि खनिजों का परिवहन किये जा रहे वाहनों के द्वारा बिना ई-रवन्ना प्रपत्रों के उपखनिज का परिवहन किया जाता है, जिससे राज्य को राजस्व की हानि होने के साथ-साथ ई-रवन्ना प्रपत्रो का दुरप्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त अवैध परिहवन की रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम द्वारा पकडे गये वाहनों को वाहन चालक द्वारा मौके पर ही छोड़कर भाग जाते है।

उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा एन0आई0सी0 से सम्पर्क स्थापित कर वाहनों के ई-चालान हेतु पोर्टल पर व्यवस्था तैयार की गयी है, जोकि दिनांक 06.05.2024 से लागू कर दी जायेगी, जिससे वाहनों का ई-चालान सम्बन्धित जिला खान अधिकारी जारी कर सकेगें तथा वाहन स्वामी ई-रवन्ना पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन चालान जमा कर पायेगें।

04/05/2024
(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

संख्या /38/आई0टी0 सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
3. समस्त खान अधिकारी/प्र0जिला खान अधिकारी,भूतत्व एंव खनिकर्म, विभाग, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी कार्यावाही तथा प्रचार-प्रसार करते हुये सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी निदेशक।

संख्या– 749 / VII-A-1 / 2024 / 08(02) / 2023

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 13 मई, 2024

विषयः ई–रवन्ना पोर्टल के **Modification** के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 547 / आई0टी0 / ई–रवन्ना पोर्टल / भू0खनि0निदे0 / 2023–24, दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में ई–रवन्ना पोर्टल में कतिपय संशोधन / Modification किये जाने की आवश्यकताओं के निमित्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के सुसंगत प्राविधानों के अनुक्रम में आवश्यकतानुसार विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के Modification/Upgradation किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1701 /38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 28 जून, 2024

कार्यालय आदेश

विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर अपंजीकृत व्यक्तियों/सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान IFMS के माध्यम से Online जमा कराया जाता है, जिसकी पुष्टि IFMS के पोर्टल से किया जाना सम्भव नही हो पाता है कि अपंजीकृत व्यक्तियों/सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चालान किस उद्देश्य से जमा कराया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त अपंजीकृत व्यक्तियों/सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान, जो समय–समय पर अपंजीकृत व्यक्तियों/सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा IFMS के माध्यम से जमा कराये जाते थे, को IFMS के स्थान पर विभागीय वेबसाईट dgmappl.uk.gov.in पर जाकर Pay Online के Option से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
नोडल अधिकारी ई–रवन्ना
कृते निदेशक।

संख्या 1701 /38/आई0टी0 सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

28/06/2024
(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
नोडल अधिकारी ई–रवन्ना
कृते निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव, खनन,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 2865/38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25 दिनांक 08 अगस्त, 2024

विषय : विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान को विभागीय वेबसाईट की **Pay Online Option** से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश संख्या 1701/38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024-25, दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा समस्त अपंजीकृत व्यक्तियों/कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि उपखनिज क्रय-विक्रय के उपरान्त रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान, जो समय-समय पर अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा IFMS के माध्यम से जमा कराये जाते थे, को IFMS के स्थान पर विभागीय वेबसाईट dgmappl.uk.gov.in पर जाकर Pay Online के Option से जमा कराया जाये।

परन्तु देखा गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा भुगतान Pay Online से नही किया जा रहा है, जिससे कि चालानों की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है कि सम्बन्धित संस्था द्वारा किस उद्देश्य से चालान जमा कराया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको उक्त पत्र अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपखनिज क्रय-विक्रय के उपरान्त रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान, को IFMS के स्थान पर विभागीय वेबसाईट dgmappl.uk.gov.in पर जाकर Pay Online के Option से करवाये जाने हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि पोर्टल पर चालानों की पुष्टि की जा सके।

भवदीय,
08/8/24
(राजपाल लेघा)
निदेशक।

प्रेषक,

उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक /
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त प्रभारी जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2866 /38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 08 अगस्त, 2024

विषय : विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रॉयल्टी, **Application fees**, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान को विभागीय वेबसाईट की **Pay Online Option** से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश संख्या 1701/38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा समस्त अपंजीकृत व्यक्तियों/कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि उपखनिज क्रय–विक्रय के उपरान्त रॉयल्टी, Application fees, पैनल्टी एवं अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान, जो समय–समय पर अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा IFMS के माध्यम से जमा कराये जाते थे, को IFMS के स्थान पर विभागीय पोर्टल dgmappl.uk.gov.in पर जाकर Pay Online के Option से जमा कराया जाये। उक्त पत्र की पृष्ठांकित प्रति समस्त प्रभारी जिला खान अधिकारियों को भी अपने स्तर से कार्यवाही किये गये हेतु प्रेषित की गयी थी।

परन्तु देखा गया है कि अपंजीकृत व्यक्तियों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा भुगतान Pay Online से नही किया जा रहा है, जिससे कि चालानों की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको उक्त पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि तद्सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करते हुये अपंजीकृत व्यक्तियों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समस्त भुगतानों को विभागीय वेबसाईट की Pay Online Option से करवाये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक

संख्या 2866 /38/आई0टी0 सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

08/8/2024

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3011 /38/आई.टी. सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 13 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में उपखनिज के क्रय हेतु सम्बन्धितों द्वारा आई0एस0टी0पी0 निर्गत किये जाते है, जिसमें जिप्सम एवं स्लेट मिनरल दर्शित नहीं हो रहे है, जिस कारण बाहरी राज्यों से आई0एस0टी0पी0 में जिप्सम एवं स्लेट को Add किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आई0एस0टी0पी0 के माध्यम से सम्बन्धितों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर जिप्सम एवं स्लेट मिनरल को Add किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(राजपाल लेघा)
o/c निदेशक।

संख्या 3011 /38/आई0टी0 सेल/भू0खनि0निदे0/2024–25, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

(राजपाल लेघा) 13/8/24
निदेशक
o/c

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

श्री संजय गुप्ता,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3685 /आई.टी.सेल/NIC/भू.खनि.निदे./2024-25 दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषय : ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किए जाने हेतु व्यवस्था तैयार किए जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या NIC/USU/2259/2024 दिनांक 12.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा "ई-रवन्ना पोर्टल पर ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था के विवरण (Usage, Workflow, Stakeholders, Parameters etc) को अभिलेखों के माध्यम से विस्तार में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने के उपरान्त पोर्टल पर ई-प्रपत्रों को प्रिन्टिंग किये जाने का Option उपलब्ध नही होगा, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा जेनरेट किये गये रवन्ना को प्रिन्ट नही किया जा सकेगा। ई-रवन्ना जेनरेट किये जाने के बाद जांच अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ई-रवन्ना प्रपत्र की मांग किये जाने पर प्रपत्र को केवल मोबाईल के माध्यम से दिखाया/show किया जा सकेगा, जिससे कि ई-रवन्ना प्रपत्रों को edit कर दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना नही रहेगी, जिसके उपरान्त राजस्व हानि नही होगी।

अतः तद्नुसार पत्र अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक।

संख्या 3685 /38/आई.टी.सैल./भू.खनि.निदे./2024-25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।,
2. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।

10/9/2024
(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 3764/38/आई0टी0सेल0/भू0खनि0निदे0/2024-25, दिनांक 12 सितम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 341/38/आई0टी0सेल/भू0खनि0निदे/2023-24 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल पर पहाडी क्षेत्रों हेतु ई-रवन्ना generate करते हुये Travelling Distance field में मैदानी जनपदों हेतु 03 मिनट प्रति किलोमीटर एवं पर्वतीय जनपदों हेतु 04 मिनट प्रति किलोमीटर के अनुसार समय निर्धारित करते हुये व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसके अनुसार कतिपय प्लांट स्वामियों द्वारा उक्त निर्धारित समय को कम बताते हुये समयसीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं राजस्व हित में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं रिटेल भण्डारण में उपखनिज के परिवहन हेतु मैदानी जनपदों में 5 मिनट प्रति किलोमीटर एवं पर्वतीय जनपदों हेतु 06 मिनट प्रति किलोमीटर की समयसीमा निर्धारित की जाती है। स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों द्वारा राज्य के बाहर ई-प्रपत्र निर्गत किये जाने पर अधिकतम Travelling distance 400 किमी मान्य होगा। उक्त आदेश इसी सीमा तक संशोधित किया जाता है।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।

संख्या 3764/38/आई0टी0सेल0/भू0खनि0निदे0/2024-25 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म, विभाग, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12/9/2024

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेल: dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या 5124 /38/आई.टी.सेल./भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 5085/38/आई.टी.सेल/भू0खनि0 निदे0/2024–25 दिनांक 16 नवम्बर, 2024 को अतिक्रमित करते हुये विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रेशर एवं भण्डारण हेतु **Core Sand** का **Option** ना होने के कारण पोर्टल पर निम्नानुसार उपखनिज को हटाया एवं **Add** किया जाना है–

क्रम संख्या	प्लांट का नाम	पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध विक्रय किये जाने वाले उपखनिज का नाम, जिस पर प्लांट स्वामियों द्वारा रवन्ने निर्गत किये जा रहे है।		पोर्टल से हटाये जाने वाले उपखनिज का नाम	पोर्टल पर **Add** किये जाने वाले उपखनिज का नाम
		राज्य के अन्तर्गत	राज्य के बाहर		
1	स्टोन क्रेशर	1. डस्ट, 2. ग्रिट, 3. बजरी, 4. सैण्ड, 5. ऑर्डिनरी सॉइल, 6. GSB, 7. WMM 8. Fine sand	1. डस्ट, 2. ग्रिट, 3. बजरी, 4. सैण्ड, 5. ऑर्डिनरी सॉइल, 6. GSB, 7. WMM 8. Fine sand	1- Sand 2- Fine sand, 3- WMM	पोर्टल पर Core sand को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर विक्रय हेतु Add किया जाना है।
2	स्क्रीनिंग प्लांट	1. बजरी, 2. सैण्ड 3. बोल्डर 4. ऑर्डिनरी सॉइल	1. बजरी 2. सैण्ड	--	पोर्टल पर Core sand एवं बोल्डर को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर विक्रय हेतु Add किया जाना है।
3.	भण्डारण	1. बजरी 2. बोल्डर 3. डोलोमाईट 4. डस्ट 5. ग्रिट 6. लाइमस्टोन (हाई ग्रेड) 7. लाइमस्टोन (लॉ ग्रेड) 8. मैग्नेसाईट 9. आर0बी0एम0 मिक्स 10. सैण्ड 11. सोपस्टोन	1. डोलोमाईट 2. डस्ट 3. ग्रिट 4. लाइमस्टोन (हाई ग्रेड) 5. लाइमस्टोन (लॉ ग्रेड) 6. मैग्नेसाईट 7. सोपस्टोन	--	पोर्टल पर Core sand को राज्य के अन्दर क्रय–विक्रय हेतु Add किया जाना है।

अतः राजस्व हित एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु उपरोक्तानुसार विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रेशर एवं भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित Core sand को ADD किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

18/11/24
(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या 5124 /38/आई.टी.सेल./भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला खान अधिकारी/प्र0 जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

18/11/24
(राजपाल लेघा)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेलः dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या 5638 /38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर प्लांट स्वामियों हेतु प्रपत्र–जे में अधिकतम उपखनिज की भारक्षमता 70 टन एवं पट्टाधारकों हेतु फॉर्म एम0एम0–11 अधिकतम उपखनिज की भारक्षमता 40 टन निर्धारित की गयी है, के दृष्टिगत प्रपत्र एम0एम0–11 में भी अधिकतम उपखनिज भारक्षमता कों संशोधन कर 40 टन के स्थान पर 70 टन किये जाने हेतु एन0आई0सी0 को Ref. number- 5360/आई0टी0 सेल–038/भू0 खनि0ई0/2023–24 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से C.R. फॉर्म प्रेषित किया गया है, जिसके कम में एन0आई0सी0 द्वारा प्रपत्र एम0एम0–11 में 40 टन के स्थान पर 70 टन उपखनिज भारक्षमता को संशोधित कर Build उपलब्ध करायी गयी, जिसे विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में दिनांक 26.11.2024 को implement किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार फॉर्म एम0एम0–11 में पट्टाधारकों हेतु उपखनिज की भारक्षमता को 40 टन के स्थान पर 70 टन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक o/c

संख्या 5638 /38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिला खान अधिकारी/प्र0 जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

07/12/24
(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक o/c

भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
"खनिज भवन", भोपालपानी, देहरादून।
(ई–मेलः dir.ukdgm@gmail.com)

संख्याः5764/38/आई0टी0सेल0–X/भू0खनि0निदे0/2024–25 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) के पत्र संख्या 2202/VII-A1/2024/05(04)/2020 दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अध्यक्ष/सचिव, कुमांऊ स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के पत्र में दिनांक 25.11.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये पत्र में उल्लिखित अनुरोध की संवेदनशीलता एंव स्टोन क्रेशर स्वामियों की निजता के हनन से सम्बन्धित प्रकरण के सन्दर्भ में तत्काल कार्यवाही करते हुये इससे सम्बन्धित ई–रवन्ना पोर्टल का तदनुसार Upgradation की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर संचालित एन्ड्रॉइड एप (Android app) ई–रवन्ना चेक में तत्समय में चल रही वाहन संख्या अर्थात् जिन फॉर्म की वैधता समाप्त न हुई हो, तथा फॉर्म नम्बर से सर्च करने की व्यवस्था प्रचलित है, फॉर्म नम्बर से सर्च करने पर उसके क्रमिक फॉर्म नम्बरों के ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूप्रयोग किये जाने की सम्भावना तथा अनुज्ञाधारकों की निजता के हनन को दृष्टिगत रखते हुए ई–रवन्ना चेक एप पर फॉर्म नम्बर से सर्च करने की व्यवस्था को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) देहरादून को Ref. Number- 5561/आई0टी0सैल0–38/भू0खनि0नि0/2024–25 दिनांक 05–12–2024 के माध्यम से Change Request फॉर्म प्रेषित किया गया, तत्दक्रम में ई–रवन्ना चेक एप पर फॉर्म नम्बर से सर्च करने की व्यवस्था को तत्काल बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

संख्या5764/आई0टी0/38/भू0खनि0नि0/2024–25 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ।
3. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ट तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ट तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. समस्त जिला खान अधिकारी/प्रभारी जिला खान अधिकारी भूतत्व एंव खनिकर्म, निदेशालय उत्तराखण्ड।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेल: dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या /38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों हेतु प्रपत्र–जे में अधिकतम उपखनिज की भारक्षमता 70 टन निर्धारित की गयी है, के दृष्टिगत प्रपत्र–जे में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों हेतु उपखनिज की अधिकतम भारक्षमता कों संशोधन कर 70 टन के स्थान पर 90 टन किये जाने किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों हेतु प्रपत्र–जे में उपखनिज की अधिकतम भारक्षमता को 70 टन के स्थान पर 90 टन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

संख्या 5877/38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला खान अधिकारी/प्र0 जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

19/12/24

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेलः dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या /38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 24 जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपद देहरादून एवं जनपद हरिद्वार के Stockists द्वारा मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में ई–रवन्ना निर्गत किया जाता था। परन्तु वर्तमान में अवैध खनन/परिवहन, राजस्व हानि एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग के दृष्टिगत विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर जनपद उधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून एवं जनपद हरिद्वार के Stockist द्वारा मैदानी जनपद से पर्वतीय जनपदों में आर०बी०एम० और बोल्डर के विक्रय हेतु ई–रवन्ना नही निर्गत किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व हित, अवैध खनन/परिवहन एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु जनपद उधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून एवं जनपद हरिद्वार के रिटेल भण्डारण स्वामियों (Stockist) हेतु मैदानी जनपद से पर्वतीय जनपदों में आर०बी०एम० और बोल्डर के विक्रय हेतु ई–रवन्ना निर्गत किये जाने की व्यवस्था को बन्द किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

/

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

संख्या 6525/38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिला खान अधिकारी/प्र0 जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

24/1/25

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
खनिज भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेल: **dir.ukdgm@gmail.com**)

संख्या 6762 /38/आई.टी.सेल.– X /भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 05 फरवरी, 2025

कार्यालय आदेश

कैलाश रिवर बैड मिनरल एल0एल0पी0, लेन नम्बर–2, गोविन्द नगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा अपने प्रार्थना पत्र संख्या KRBMLLP/UDGM/2024-25/365 दिनांक 06 जनवरी, 2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "we would like to bring to your kind notice that we have observed the following minor minerals are not listed in the department mining portal. However, we noticed that vehicles loaded with these minerals are entering into Uttarakhand State. In the absence of listing of these minerals in the portal, ISTP challans could not be generated, resulting in substaintial loss of revenues to the state.

1- Coarse Sand
2- Wash sand
3- Scalp (Mitti)

In view of the above, we request you to kindly arrange to include the above minor minerals in the portal in order to generate ISTP revenues as applicable.

उक्त के सम्बन्ध में आई0टी0 सेल टीम द्वारा अवगत कराया गया है कि Coarse Sand, wash sand एवं scalp (Mitti) का option पोर्टल पर उपलब्ध नही है।

अतः राजस्व हित एवं कैलाश रिवर बैड मिनरल एल0एल0पी0, लेन नम्बर–2, गोविन्द नगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत उक्त कमांक 01 से 03 में अंकित लघु खनिजों में से Coarse Sand एवं wash sand को विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर Add/Update किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

संख्या 6762 /38/आई.टी.सेल.–X/भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
3. कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

05/2/25

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

(ई–मेल: dir.ukdgm@gmail.com)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, खनिज भवन, देहरादून।

सेवा में,

श्री संजय गुप्ता,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 7245/आई.टी.सेल–X/NIC/भू.खनि.निदे./2024–25 दिनांक 28 फरवरी, 2025

विषय : ई–रवन्ना पोर्टल में सोपस्टोन पाउडर को Add किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य के अन्तर्गत सोपस्टोन के क्रय–विक्रय हेतु पल्वराइजर प्लांट स्थापित किये जा रहे है। पल्वराइजर प्लांट स्थापित किये जाने के उपरान्त प्लांटों में प्लांट स्वामियों द्वारा राज्य के अन्दर सोपस्टोन क्रय करते हुये सोपस्टोन को powder रूप में रूपांतरित कर राज्य के बाहर एवं अन्दर सोपस्टोन पाउडर का विक्रय किया जायेगा, जिस हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में पूर्व से उपलब्ध सोपस्टोन के अतिरिक्त पल्वराइजर प्लांट हेतु सोपस्टोम पाउडर को Mineral list में Add किया जाना है।

क्र0 सं0	प्लांट का नाम	पोर्टल पर उपलब्ध क्रय किये जाने वाले उपखनिज का नाम।
1	पल्वराइजर प्लांट	Soapstone Powder

अतः उपरोक्तानुसार विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल में पल्वराइजर प्लांट हेतु सोपस्टोन के अतिरिक्त सोपस्टोन पाउडर को उक्त तालिकानुसार Mineral list में Add करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।

संख्या 7245/आई.टी.सेल–X/NIC/भू.खनि.निदे./2024–25 तद्दिनांक। O/C

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।,
2. श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।

28/2/25

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।
O/C

वर्तमान में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय एवं जनपद के अन्तर्गत विभागीय वाहन व वाहन चालकों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	वाहन संख्या	मुख्यालय / जनपद	अधिकारी / प्र0 अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है।	मुख्यालय / जनपद के सापेक्ष कार्यरत वाहन चालक का नाम
1.	UK 07GA/5138	मुख्यालय	अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री दीपक कुमार, (उपनल) उपनल
2.	UK 07GA/5137	मुख्यालय	सयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री आसिफ अली, (सरकारी / नियमित)
3.	UK 07GA/5139	गढ़वाल मण्डल	सयुक्त निदेशक,	वाहन चालक उपलब्ध नही है।
4.	UK 07 GB/0789	मुख्यालय	मुख्यालय के कार्य हेतु, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री अर्जुन सिंह, (सरकारी / नियमित)
5.	UK07 GA/4506	मुख्यालय	(प्रर्वतन दल) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री सीनू कुमार, (उपनल)
6.	UK 07GA/4512	मुख्यालय	(प्रर्वतन दल) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री विजय प्रकाश, (उपनल)
7.	UK 7 GA/4502	पिथौरागढ़	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द राम, (पी0आर0डी0)
8.	UK07 GA/4503	रूद्रप्रयाग	जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।	श्री संजू नौडियाल, (सन कम्पनी)
9.	UK07 GA/4504	अल्मोड़ा	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अल्मोड़ा।	श्री हेमन्त कुमार, (पी0आर0डी0)
10.	UK07 GA/4505	चम्पावत	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग चम्पावत।	श्री गौरव पुनेठा, (सन कम्पनी)
11.	UK07 GA/4507	नैनीताल	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, नैनीताल।	श्री बृजेश कुमार, (पी0आर0डी0)
12.	UK07 GA/4508	उधमसिंह नगर	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उधमसिंहनगर।	श्री अमित कुमार, (सन कम्पनी)
13.	UK07 GA/4509	उत्तरकाशी	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी।	श्री विशेष गुसाई, (सन कम्पनी)
14.	UK07 GA/4510	बागेश्वर	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।	श्री महेश सिंह, (पी0ई0जे0के0 एस0 कम्पनी)
15.	UK07 GA/4511	चमोली	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।	श्री गौरव, (सन कम्पनी)
16.	UK07 GA/4513	टिहरी गढ़वाल	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी गढ़वाल।	श्री जगमोहन, (पी0ई0जे0के0 एस0 कम्पनी)

प्रभारी अधिकारी वाहन
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

17.	UK 07GA/4514	पौडी गढवाल	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,पौडी गढवाल।	श्री गणेश प्रसाद (उपनल)
18.	UK 07GA/4515	देहरादून	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।	श्री उमराव भण्डारी, (पी0आर0डी0)
19.	UK 07GA/4516	हरिद्वार	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार।	वाहन चालक उपलब्ध नही है।

17/05/15

प्रभारी अधिकारी वाहन
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर देहरादून का सूचना का मैनुअल

सहायकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है, की स्थिति –

(The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

जिला खनिज न्यास का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत धनराशि निम्न रूप में जमा की जाती है –

<u>न्यास निधि हेतु अंशदान</u>

a. मुख्य खनिजों के मामले में –

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में सदत्त स्वामित्व धनराशि से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्यधीन करना होगा।
2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा।

b. गौण खनिजों के मामले में :–

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट भट्टा समाधान रॉयल्टी 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज न्यास में जमा की जायेगी।

3. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
4. उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाता है।
5. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाली बालू, बजरी पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जिला खनिज न्यास में अतिरिक्त रूप से जमा किया जाता है।
6. जल विद्युत परियोजना,में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भूगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
7. नहर, जलायश, सफाई, खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जिला खनिज न्यास में जमा किया जाता है।
8. खर्च एवं अन्य प्राप्तियां एवं ब्याज से प्राप्त धनराशि या अन्य प्रकरण से प्राप्त धनराशि।
9. न्यास की अन्य द्वारा प्राप्त आय या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।

उपरोक्त से प्राप्त समस्त धनराशि सम्बन्धित जनपदों में सामाजिक कार्यो में व्यय की जाती है, जिसका सम्पूर्ण विवरण शासनादेश संख्या **औद्योगिक विकास अनुभाग–1 संख्या 1621/VII-1/2017/8–ख/16 देहरादून 17 नवम्बर, 2017** पर उल्लेखित् है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी (बड़ासी) थानों रोड–रायपुर, देहरादून में

अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की स्थिति
(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by)

निदेशालय, द्वारा किसी प्रकार की छूट या परमिट निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता। खनन सम्बन्धित मामलों में उपखनिज के परमिट हेतु क्षेत्र के निरीक्षणोपरान्त तकनीकी आख्या शासन/प्रशासन को उपलब्ध करायी जाती है।

मैनुअल 15

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून का सूचना का मैनुअल

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घन्टे सम्मिलित है :–

(The particulars fo facilities avities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library of reading room, if maintained for public use.)

किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय निदेशालय में उपलब्ध अभिलेखों से निदेशालय से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो उस व्यक्ति या संस्था से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य के लिये किसी वाचनालय या पुस्तकालय की अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है। परन्तु एक कार्ययोजना बनायी जा रही है कि पेंशन अभिलेख निदेशालय से प्राप्त होने पर प्रत्येक दिन की प्रगति कम्प्यूटर एवं दूरभाष की सहायता से आम नागरिक प्राप्त करेंगे जिसके लिये इन्टरेक्टिव वायस रेस्पान्स सिस्टम (IVRS) लगाया जायेगा जो 24 घन्टे कार्यशील होगा। कम्प्यूटर सम्बन्धी सभी सलाह NIC से प्राप्त किया जाता है तथा इसके विषय पर उनकी संस्तुतियों पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय किया जाता है प्रशिक्षण तथा तकनीकी क्रियान्वयन किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" मोपालपानी, देहरादून, का सूचना का मैनुअल में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम, पता व मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी और अन्य विशिष्ठियां :–

(The Name, designation, address, Mobile Number and E-mail ID and other particulars of the public information officer and Appellate Authority.)

राज्य सरकार द्वारा मुख्यालय स्तर एवं जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित है। शासन द्वारा ऐसे अधिकारी नामित होने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, से सम्बन्धी कार्यों की सूचना निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना पृष्ठ संख्या 303, 304 व 305 में अंकित हैं।

प्रपत्र 02

प्राधिकरण स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी (पुलिस विभाग) का नाम, पदनाम पता व मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी.

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्ण पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईडी
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

प्रारूप –04

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी –

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्ण कार्यालय पता	दूरभाष नम्बर	ई-मेल आईडी
1	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
6	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
8	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
9	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
10	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
11	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]		
12	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-
13	[illegible]	जिला कार्यालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, [illegible]	[illegible]	-

मैनुअल 17

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,

"खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड, देहरादून का सूचना का मैनुअल

अन्य सूचना जो विहित की जाय :–

(Such other information as may be prescribed)

वर्तमान में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, हेतु जो भी कार्य दिए गया है, उसका विस्तृत विवरण मैनुअल 1 से 16 एवं विभिन्न प्रारूपों में दिया गया है। यदि उक्त से भिन्न अन्य कोई कार्य आवंटित किया जाता है एवं ऐसी सूचना विभाग में विधि के अनुरूप उपलब्ध है तो उसे भी सूचीबद्ध किया जायेगा तथा यथा वांछित सक्षम अधिकारी की स्थापित प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध कराया जायेगा।